[2018] 13 एस. सी. आर 91

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ में

वी.

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 5518-5523 2017 का)

अक्टूबर 03,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सेवा कानून:

अंतर-से-वरिष्ठता-उच्च न्यायिक की तीन धाराओं के बीच

सेवा अर्थात पदोन्नति, प्रत्यक्ष भर्ती और बारी से पदोन्नति वरिष्ठता सूची में पदोन्नति अधिकारियों को क्रम संख्या में रखा गया था। 1 14 तक; क्रम संख्या में। 15 और 16 सीधे भर्ती किए गए थे; बारी से पदोन्नत

क्रम संख्या में। 17 24 तक और क्रम संख्या में। 25 35 सीधे भर्ती किए गए थे

प्रत्यक्ष भर्तियों और समय से बाहर पदोन्नति पाने वालों द्वारा लिखित याचिका

वरिष्ठता सूची को चुनौती-उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को मंजूरी दी

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पदोन्नत व्यक्ति कोटा से अधिक थे और इसलिए उन्हें तदर्थ माना जाना चाहिए और वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए और अपील पर वरिष्ठता सूची को फिर से डालने का निर्देश दिया गया: वर्ष 2004 में 1963 के सेवा नियमों में संशोधन से पहले संवर्ग के 75 प्रतिशत को पदोन्नतों द्वारा और 25 प्रतिशत को सीधी भर्तियों द्वारा भरने की आवश्यकता थी। 2004 में संशोधन के बाद पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, बारी से बाहर पदोन्नति पाने वालों के लिए 25 प्रतिशत (विभागीय परीक्षा द्वारा) और सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

-

संशोधित नियमों से पहले और बाद में मौजूद कोटा के निर्धारण को अलग तरीके से माना जाना चाहिए- 2007 के नियमों द्वारा लाए गए वरिष्ठता के निर्धारण को लागू नहीं किया जा सकता है ताकि किसी भी मौजूदा अधिकार को विफल किया जा सके। 7 (3) (क) सेवा नियम सेवा नियमों और उनके अनुसार थे।

पदोन्नति को तदर्थ नहीं माना जा सकता है और न ही उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जा सकता है-पदोन्नति कोटा केवल अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के फैसले के अनुसार निकाला गया है।

इस मामले में, उक्त कोटा संभावित रूप से अस्तित्व में आ जाएगा-इसलिए, बदले में पदोन्नत व्यक्ति पहले दिन से 25 प्रतिशत कोटा का दावा नहीं कर सकते हैं-इस प्रकार

रिक्तियों की गणना में कोई पेटेंट त्रुटि नहीं है-तीन अलग-अलग धाराओं से की गई भर्ती को दोष नहीं दिया जा सकता है-सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इसे अपनाने का निर्देश दिया था रोस्टर प्रणाली-कोटा 1963 के नियमों में पूरी तरह से मौजूद था, जिसे 2007 के नियमों में प्रवर्धित किया गया है। 7

2007 के नियम आर/डब्ल्यू परिशिष्ट-बी स्पष्ट है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए रोस्टर का पालन किया जाना है-इसलिए, रोस्टर में लागू होता है

वरिष्ठता का निर्धारण-सभी फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश जो विभिन्न धाराओं में नियमित संवर्ग में लिया गया है

वरिष्ठता सूची में रखा गया-तीनों धाराओं के अधिकारियों की वरिष्ठता स्थिति का निर्धारण परिशिष्ट-बी-पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 आर में बताए गए रोस्टर के अनुसार किया जाता है। 8

पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007-rr. 7 (3) (क), (ख) और (ग); 7 (4), 8,12 (3) और परिशिष्ट ख।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 28.01.1991, पंजाब सुपीरियर के नियम 8 से

न्यायिक सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया था जिसमें तीन चौथाई संवर्ग को पदोन्नत अधिकारियों और एक व्यक्ति द्वारा भरा जाना था।

चौथा प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा। उपरोक्त स्थिति नियमों तक जारी रहती है।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस अदालत के निर्देश के तहत 2004 में संशोधन किया गया था। पहली बार 15.01.2004 पर पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन करके,

नियम 8 के तहत पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिशत और

जहां तक प्रत्यक्ष भर्तियों की बात है, तो पहले 25 प्रतिशत बनाए रखा जाता था।

[पारस 39 और 40] [116-एच; 117-ए-बी]

1.2 13.09.2007 पर कैडर की संख्या 89 थी, जिसे 10.11.2007 पर बढ़ाकर 107 कर दिया गया था। नियमों में संशोधन के बाद

15.01.2004 पर 10 अधिकारियों की पदोन्नति की गई। कैडर

2004 से पहले इनकी संख्या 88 थी। इस प्रकार, वर्ष 2004 में, जब संवर्ग की संख्या 88 थी, 75 प्रतिशत पदों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के तहत पदोन्नतियों द्वारा संचालित किया जाना था, यानी 66 पदोन्नत अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने थे। अखिल भारतीय न्यायाधीशों में निर्णय '

एसोसिएशन का मामला संभावित होने के कारण, असंशोधित नियमों से पहले मौजूद अधिकारियों का अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता है। ए.

नियम, 2004 के संशोधन से पहले पदोन्नती, जो ठीक था

अपने कोटे के भीतर, अचानक अपने कोटे से बाहर नहीं जा सकते हैं और चंडीगढ़ बनाम में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।

पंजाब राज्य

केवल नियमों के संशोधन के बल पर अतिरिक्त हो जाता है, जो प्रकृति में संभावित हैं। कोटा निर्धारित करने के लिए, संवर्ग की संख्या, जो संशोधित नियमों से पहले मौजूद थी और संशोधित नियमों के बाद अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। [पैरा 40] [117-डी-एफ]

1.3 आउट ऑफ टर्न पदोन्नति कोटा केवल अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में फैसले के अनुसार निकाला गया है।

जो राज्य द्वारा नियमों में आवश्यक था, उक्त कोटा केवल संभावित रूप से अस्तित्व में आएगा। एक आउट ऑफ टर्न प्रोमोटरी यह दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें पहले दिन से ही कैडर संख्या का 25 प्रतिशत पद दिया जाना चाहिए। यह सच है कि कोटा का निर्धारण संवर्ग की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन संवर्ग की संख्या का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि डब्ल्यू. ई. एफ. में संशोधित नियम संभावित प्रकृति के थे।

और किसी भी अधिकार को बाधित या प्रभावित नहीं कर सकता है, जो नियमों के संशोधन से पहले न्यायिक सेवा के सदस्य। [पैरा 40] [118-बी-डी]

1.4 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए नियम 2007 लाया गया है, जबकि

नियम 2007 की व्याख्या करते हुए इस अदालत द्वारा जारी निर्देश इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हो। [पैरा 70 (4)] [135-सी]

1.5 इस प्रकार, प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा रिक्ति की गणना में कोई पेटेंट त्रुटि नहीं है और

नतीजतन, तीन अलग-अलग धाराओं से की गई भर्ती इस तरह के दृढ़ संकल्प के भीतर थी और इसमें गलती नहीं की जा सकती है। द.

नियम 7 (3) (ए) के तहत अधिकारियों की पदोन्नति नियमों के अनुसार थी और पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति मानने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही उन्हें निचले स्तर पर धकेल दिया जा सकता है।

वरिष्ठता। नियमों का नया सेट, भर्ती की नई योजना, वरिष्ठता के निर्धारण के नए नियम

2007 नियम, इसका कार्यान्वयन सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी मौजूदा अधिकार को पराजित न किया जा सके। नए नियमों की योजना और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में वर्णित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नियमों के यांत्रिक अनुप्रयोग, जिसके परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, से बचना होगा। विभिन्न धाराओं द्वारा भरे जाने वाले पदों का आवंटन करते समय, कैडर की संख्या, [2018] 13 एस. सी. आर. के अधिकारी।

स्थिति में विशेष धारा, प्रत्येक धारा के कोटे को ध्यान में रखना होगा। विशेष वर्ष में भर्ती के लिए मौजूदा रिक्तियां

50, 25 और 25 प्रतिशत के अनुपात में यांत्रिक रूप से विभाजित नहीं किया जाना है। [पैरा 41] [118-डी-जी]

* अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 247: [2002] 2 एस. सी. आर. 712 श्रीकांत रॉय और अन्य बनाम झारखंड राज्य और

अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 457: [2016] 11 एससीआर 58-निर्भर पर।

2.1 सेवा न्यायशास्त्र में रोटा और कोटा एक प्रसिद्ध अवधारणा है, जो बड़ी संख्या में सेवा नियमों में परिलक्षित होती है।

विभिन्न सेवाएँ। पदोन्नति और निदेशकों के बीच कोटा 1963 के नियमों में पूरे समय मौजूद था, जिसे आगे बढ़ाया गया है।

2007 के नियमों में प्रवर्धित। [पैरा 43] [119-सी-डी]

2.2 रोस्टर द्वारा भर्ती करने में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा निहित उद्देश्य था

परिशिष्ट-बी के साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सूची का पालन किया जाना है। नियम 7 (4) और परिशिष्ट-बी को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि नियमों के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। जब इस न्यायालय ने वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया, तो नियम, 2007 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी होगा। [पैरा 45] [121-ए-सी]

2.3 2007 के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि वरिष्ठता के निर्धारण के विपरीत कोई प्रावधान है सूची के अनुसार। केवल यह तथ्य कि उक्त नियम स्पष्ट नहीं हैं या यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर के आधार पर किया जाना है, निर्णायक नहीं है। [पैरा 48] [123-जी]

2.4 वैधानिक नियमों और भर्ती के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य निश्चितता प्राप्त करना था। विभिन्न धाराओं से संबंधित अधिकारियों को विश्वास होना चाहिए कि उन्हें उनके कोटे के तहत भर्ती किया जाएगा और उन्हें उनके कोटे के अनुसार वरिष्ठता मिलेगी।

और सूची। घटना में, चंडीगढ़ बनाम में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तारीख के साथ वरिष्ठता तय की जानी है।

विशेष धारा के जुड़ने से अनिश्चितता पैदा होगी और प्रशासनिक अधिकारियों के आधार पर वरिष्ठता होगी, जो है

न तो सेवा के हित में और न ही न्याय के उद्देश्य की सेवा में।

[पैरा 53] [126-एफ-जी]

2.5 वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सूची पूरी तरह से लागू होती है। किसी विशेष वर्ष में चुने गए विभिन्न धाराओं के अधिकारी

हालाँकि उन्हें अलग-अलग तिथियों पर पद में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी अंतर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, जो रोस्टर के आधार पर तय की जानी है। [पैरा 53] [126-जी-एच]

2.6 यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि वरिष्ठता में रोस्टर लागू होता है, लेकिन निर्णय के परिचालन भाग में परिशिष्ट-बी में दिए गए रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक स्पष्ट त्रुटि है। [पैरा 70 (3)] [135-बी]

2.7 परिशिष्ट-बी के साथ पठित नियम 7 (4) को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में निर्देश के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए और

नियम का सामंजस्यपूर्ण निर्माण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि रोस्टर जो स्पष्ट रूप से तीनों धाराओं के पद को भरने के लिए लागू किया गया है, वरिष्ठता का निर्धारण करते समय लागू होगा। 24.12.2015 दिनांकित वरिष्ठता सूची को अलग रखा जाना है। [पैरा 70 (5) और 71] [135-डी-ई]

ओ. पी. सिंगला और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 4 एस. सी. सी. 450 [1985] 1 एस. सी. आर. 351; भारत संघ और अन्य बनाम। एन. आर. परमार और अन्य (2012) 13 एस. सी. सी.

340 [2012] 13 एस. सी. आर. 555-पर निर्भर।

3.1 पंजाब सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर जारी पदोन्नति आदेश

नियम 7 (3) (ए) के तहत 50 प्रतिशत कोटे के तहत पंद्रह अधिकारियों में छह अधिकारी भी शामिल थे जो फास्ट ट्रैक में तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे।

अदालतें। इसी तरह, आठ न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने का नियुक्ति आदेश

आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए कोटा के तहत अधिकारियों में एक अधिकारी शामिल था जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में तदर्थ आधार पर काम कर रहा था। अस्थायी वरिष्ठता सूची इंगित करती है कि दो अधिकारी

जो Sl.No.15 और Sl.No.16 पर थे, उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालतों से अवशोषित किए जाने के रूप में दिखाया गया था।

नियम 7 (3) (सी) के तहत भर्ती। इन अधिकारियों को फास्ट [2018] 13 एस. सी. आर. के रूप में भर्ती किया गया था।

अदालत के न्यायाधीशों को सीधे बार से ट्रैक करें। अस्थायी वरिष्ठता सूची में, पदोन्नत अधिकारियों के नाम जो पहले फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में काम करना निचले संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के अनुसार दिखाया गया है। [पैरा 54] [127-बी-डी]

3.2 इन दोनों अधिकारियों (जिन्हें सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था) को आदेश द्वारा पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था।

दिनांकित 24.06.2008। अस्थायी वरिष्ठता सूची में, उन्हें रखा गया था

जिला न्यायाधीश, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के बाद जो लगभग वही प्रक्रिया है जो बाद में निर्धारित की गई है यह न्यायालय * * बृज मोहन लाल मामले में। उपरोक्त दो अधिकारियों को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में शामिल किया गया है, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ जोड़ा जाना है। प्रत्यक्ष भर्तियों की आपत्ति कि उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए दिए गए कोटे में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे उसी लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा से नहीं गुजरे हैं, जो प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा ली गई है, इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 61] [131-बी-ई]

3.3 नियम 12 (3) में प्रावधान है कि "प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त व्यक्ति की अंतर-वरिष्ठता योग्यता के आधार पर होगी जैसा कि निर्धारित किया जाता है।

इन दोनों अधिकारियों और अन्य प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-वरिष्ठता का आकलन करते समय तकनीकी रूप से लागू होता है। [पैरा 63] [132-ए-बी] 3.4 दोनों अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में काम कर रहे हैं और वे

नियमित संवर्ग में नियुक्त किया जाता है, हालांकि उसी भर्ती वर्ष में, अन्य प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर उनकी नियुक्ति उचित है। हालाँकि, इन दोनों अधिकारियों को सीधी भर्तियों के साथ समूहीकृत किया जाएगा और वे सीधी भर्तियों में पद संख्या 1 और 2 पर आसीन होंगे।

[पैरा 63] [132-सी] चंडीगढ़ बनाम में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब राज्य

3.5 फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश, जिन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति द्वारा चुना गया था, को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था

नियम 7 (3) (ए) के तहत पंद्रह अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप।

नियुक्ति और चयन समिति प्रस्ताव के साथ

नियम 7 (3) (ए) के तहत पंद्रह पदोन्नति ने फास्ट ट्रैक अदालतों को चलाने के लिए सात अधिकारियों का भी प्रस्ताव किया है, जिसमें अधिकारी को शामिल किया गया था। इस प्रकार उन्होंने वर्ष 2008 में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश का पद संभाला और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और योग्यता के आधार पर छठा स्थान प्राप्त किया। आउट ऑफ टर्न पदोन्नति पाने वालों में उन्हें छठे स्थान पर रखा गया है। [पैरा 64] [132-डी-एफ]

बिन्दु। नियम 12 (2) के अनुसार बारी-बारी से पदोन्नत अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता योग्यता के क्रम में होगी जैसा कि निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा "। इस प्रकार, पदोन्नति पाने वालों में से अधिकारी की वरिष्ठता का पद योग्यता के अनुसार होना चाहिए। आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के बीच उनकी स्थिति इस प्रकार क्रम संख्या 6 में सही दिखाई गई है जिसके साथ कोई कमजोरी नहीं पाई जा सकती है। [पैरा 67] [133-जी-एच; 134-ए]

3.7 विभिन्न धाराओं में नियमित संवर्ग में लिए गए फास्ट ट्रैक न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को उनकी धाराओं में वरिष्ठता सूची में रखा गया है, जिसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 67] [134-ए]

** बृज मोहन लाल बनाम। भारत संघ और अन्य (2012)

6 एससीसी 502: [2012] 5 एस. सी. आर. 305-पर निर्भर।

4. तीन साल की अवधि पहले ही बीत चुकी है जब अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी। प्रशासन के लिए जितनी जल्दी हो सके वरिष्ठता को अंतिम रूप देना आवश्यक और आवश्यक है न्याय। नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नतियों की अंतर-से-वरिष्ठता के बारे में कोई विवाद नहीं है और बारी के बाहर पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-से-वरिष्ठता से संबंधित मुद्दे को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। केवल वही अभ्यास किया जाना है जो परिशिष्ट-बी में बताए गए रोस्टर के अनुसार तीन धाराओं के अधिकारियों को नियुक्त करना है। तीन के अधिकारियों की वरिष्ठता स्थिति

भाप का निर्धारण सूची के अनुसार किया जाता है। [पैरा 71 (ए) और (बी)] [135-एफ-एच] [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. *** अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में 25 प्रतिशत का कोटा

आउट ऑफ टर्न पदोन्नति को घटाकर 10 प्रतिशत डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2011 कर दिया गया है। वर्तमान वरिष्ठता विवाद 2008 में हुई भर्ती से संबंधित होने के कारण, कोटा में कमी वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हो सकती है। [पैरा 72] [138-सी-डी]

*** अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। (2010) 15 एस. सी. सी. 170-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

(2010) 15 एससीसी 170

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2016] 11 एससीआर 58

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

[1985] 1 एससीआर 351

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

उस पर भरोसा करें

[2012] 13 एससीआर 555

पै

रा 50

[2012] 5 एससीआर 305

उस पर भरोसा करें

पै

रा 58

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 5518

5523 2017 से।

उच्च न्यायालय के 03.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की सिविल रिट याचिका संख्या। 1056 , 1057 , 1209 , 1983 , 2335 , 21544 2016 का

के साथ

सिविल अपील सं। 5513/2017 , 5525/2017 , 5509/2017 , 5510/2017 ,

5515-5517 / 2017 , 5528-5529 / 2017 , 10176/2018 , 10185-10187 / 2018 .

राजू रामचंद्रन, अजीत सिन्हा, के. वी. विश्वनाथन, दुष्यंत

डेव, पी. एस. पटवालिया, निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अशोक माथुर, अभिषेक कौशिक, राघव पांडे, वैभव नीति, प्रतीक गुप्ता, ई. सी. अग्रवाल, तारजीत सिंह, सुहास रत्न जोशी, अशोक के. महाजन, एस. एल. अनेजा, सुभाशीष भौमिक, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, सुश्री गायत्री गुलाटी, सुश्री स्नेह ढिल्लों, सुश्री हर्षिका वर्मा, श्रीमती नताशा डालमिया, पुनीत वार्ष्णेय, सुश्री पल्लवी सिंह, सुश्री व्रीति गुजराल, जगजीत सिंह छाबड़ा, एस. के. पब्बी, सुश्री प्रियंका गर्ग, अजय कुमार सिंह, करण भरीहोक, सुश्री अनुषा नागराजन, सुश्री नवकिरण बोले, करण दीवान, सुश्री अदिति होन 'ब्ले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बनाम चंडीगढ़।

पंजाब राज्य

गुप्ता, सुश्री उत्तरा बब्बर, अशोक माथुर, शंकर दिवाते, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

(i) 50 प्रतिशत कोटे के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी (जिन्हें इसके बाद पदोन्नत किया जाता है); ((ii) 25 प्रतिशत कोटे के तहत सीधी भर्ती (इसके बाद "प्रत्यक्ष भर्ती" के रूप में संदर्भित); और

((iii) सीमित विभागीय आधार पर पदोन्नत अधिकारी।

25 प्रतिशत कोटे के तहत प्रतियोगी परीक्षा (जैसा कि यह तब मौजूद था) (इसके बाद इसे "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। 4. पंजाब सुपीरियर जुडिशल सर्विस के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी।

24.12.2007 पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों की अंतर वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। 5. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर सवाल उठाया है।

पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य जो सीधे भर्ती किए गए थे और सुपीरियर न्यायिक अधिकारी जो 50 प्रतिशत कोटे के तहत पदोन्नत हैं। कंवलजीत सिंह बाजवा और अन्य और जितेंद्र कौर की ओर से दीवानी अपील सीधी भर्तियों द्वारा दायर अपीलें हैं और अन्य अपीलें 50 प्रतिशत कोटे के तहत पदोन्नत अधिकारियों द्वारा दायर अपीलें हैं।

6. उच्च न्यायालय द्वारा 2017 का C.A.Nos.5518-5523 दायर किया जा रहा है।

प्रमुख अपीलों के रूप में माने जाने वाले अभिवचनों का संदर्भ, जिनकी अपीलें अपीलों के इस समूह का निर्णय करने के लिए पर्याप्त होंगी।

[2018

] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पृष्ठभूमि तथ्य

7. पंजाब राज्य की उच्च न्यायिक सेवा नियमों के एक समूह द्वारा शासित थी, जिसका नाम पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 था। नियम 8, जैसा कि यह शुरू में मौजूद था, में प्रावधान किया गया था कि संवर्ग पदों की कुल संख्या में से दो-तिहाई पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक-तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

8. नियम 12 वरिष्ठता से संबंधित है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सेवा के मूल सदस्यों की वरिष्ठता, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से भर्ती हों या पदोन्नत अधिकारी, संबंधित के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

उनकी पुष्टि की तारीखें। 31.12.1976 नियम 12 में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया गया था कि सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, पुष्टि की तारीख के बावजूद सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित की जाएगी।

9. 28.01.1991 पर, नियम 8 (2) में संशोधन किया गया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि संवर्ग पदों की कुल संख्या में से तीन-चौथाई पदोन्नती द्वारा संचालित किए जाएंगे। अधिकारी और एक-चौथाई सीधी भर्तियों द्वारा।

10. इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2002 (4) एस. सी. सी. 247, <आई. डी. 1 पर, न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विभिन्न मामले जारी किए थे।

जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के संबंध में निर्देश। इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती तीन धाराओं से होगी। :

" (1) (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत

और एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना;

(ख) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत

कम से कम पाँच साल की योग्यता सेवा होना; और

(ग) 25 प्रतिशत पदों को लिखित आदेश के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षण।

11. इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उच्च न्यायालयों द्वारा उपरोक्त के अनुपालन में जल्द से जल्द उचित नियम बनाए जाएंगे।

दिशा निर्देश। पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (प्रथम संशोधन) नियम, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

2004 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के अनुपालन में 15.01.2004 पर अधिसूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि

15.01.2004 पर नियमों में किए गए संशोधन ने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा नहीं किया

न ही अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (उपरोक्त) में दिए गए इस न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया, इसलिए, नियमों का एक नया सेट तैयार किया गया, जिसका नाम पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 था, जिसे पंजाब में प्रकाशित किया गया था।

03.09.2007 पर राजपत्र। 2007 से पहले पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के कैडर में 88 पद थे। उच्च न्यायालय ने 14.10.2004 10 रिक्तियों पर बिना संशोधित नियमों के अनुसार 10 पदोन्नति की गई थी जो 15.01.2004 पर नियमों के संशोधन से पहले से मौजूद थीं। 31.08.2007 पर, कैडर की कुल संख्या 89 थी, जिसे 11.10.2007 पर बढ़ाकर 107 कर दिया गया था। नियम, 2007 के नियम 7 (3) (सी) के तहत सीधी भर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया विज्ञापन के प्रकाशन के साथ 02.02.2008 पर शुरू की गई थी। योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर 50 प्रतिशत कोटे के तहत पदोन्नति 18.02.2008 पर प्रभावित हुई थी। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षा 18.05.2008 पर आयोजित की गई थी, जिसके लिए ई-मेल के माध्यम से पत्र जारी करके 23.04.2008 पर प्रक्रिया शुरू की गई थी। पूर्ण न्यायालय ने 25.07.2008 पर दो अलग-अलग पत्रों यानी No.628 दिनांक 29.07.2008 द्वारा सीधी भर्ती और बारी के बाहर पदोन्नति दोनों के लिए सिफारिशों को मंजूरी दी।

प्रत्यक्ष भर्ती की सिफारिश और दिनांकित No.629 पत्र द्वारा

50 % 25 प्रतिशत आउट ऑफ टर्न पदोन्नति कोटे के तहत आठ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। बारह प्रत्यक्ष भर्तियों को दिनांक 08.12.2008 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था। इस प्रकार तीनों धाराओं की भर्ती की प्रक्रिया एक ही वर्ष में पूरी की गई और तीनों धाराओं के अधिकारी वर्ष 2008 में ही अलग-अलग तिथियों पर अपने-अपने पदों पर शामिल हुए। पदोन्नति पाने वालों को पहले शामिल होने का मौका मिला, उसके बाद बारी के बाहर पदोन्नति पाने वाले और अंत में सीधे भर्ती होने वाले लोग। यह न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में है। बनाम भारत संघ और अन्य। , 2010 (15) एस. सी. सी. 170 ने आउट ऑफ टर्न पदोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जो 01.01.2011 से प्रभावी होना था। उच्च न्यायालय ने निर्धारण [2018] 13 एस. सी. आर. की प्रक्रिया शुरू की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2014 में दो धाराओं के अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता। एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी और उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को 25.09.2014 पर वितरित की गई थी। सूची पर विभिन्न आपत्तियां दायर की गईं जिनमें प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ-साथ आउट ऑफ टर्न कोटे के तहत पदोन्नत अधिकारियों की आपत्तियां भी शामिल थीं। न्यायाधीशों की समिति ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी कि निर्धारित अस्थायी वरिष्ठता सूची में किसी भी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट को पूर्ण न्यायालय ने 22.12.2015 पर स्वीकार कर लिया था। ए. वर्ष 2008 में पदोन्नत, नियुक्त, अवशोषित पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्यों की अंतर वरिष्ठता को प्रकाशित करते हुए अधिसूचना दिनांक 24.12.2015 जारी की गई थी। सीरियल नंबर से। 1 सूची में 14 तक क्रम संख्या से पदोन्नत अधिकारी थे। 15 और 16 सीधे भर्ती किए गए थे, सीरियल नंबर से। 17 24 तक सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी थे और क्रमिक Nos.25 से 35 तक सीधे भर्ती किए गए थे।

12. 2016 की रिट याचिका संख्या 1056, कंवलजीत सिंह द्वारा दायर की गई थी।

बाजवा और दो अन्य लोग निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं:

i) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी की गई विवादित वरिष्ठता सूची दिनांक 24.12.2015 (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश विशेष रूप से प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करना;
ii) मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश का एक रिट जारी करना, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ताओं को ऊपर और ऊपर दिखाकर वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने और फिर से तैयार करने का निर्देश देना।

उत्तरदाता Nos.3 से 5 तक;

iii) विवादित वरिष्ठता सूची 24.12.2015 (P1) के संचालन को कहना और आगे बढ़ने में उत्तरदाताओं की आगे की पदोन्नति को रोकना।

विवादित वरिष्ठता सूची में से;

(iv) किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश के लिए जो इस माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया हो।

vi) याचिकाकर्ता को अनुलग्नक के लिए प्रमाणित और टाइप की गई प्रतियां दाखिल करने से छूट; vii)

याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ रिट याचिका का अधिनिर्णय व्यय। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

13. 2016 की रिट याचिका संख्या 1209 सीधी भर्ती जतिंदर कौर द्वारा दायर की गई थी, जिसने दिनांकित 24.12.2015 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। इसी तरह 2016 की रिट याचिका संख्या 1057 जतिंदर पाल सिंह खुर्मी और अन्य लोगों द्वारा वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। 2016 की रिट याचिका No.2335 विरिंदर अग्रवाल और एक अन्य द्वारा दायर की गई थी, जो समय से बाहर थे।

बढ़ावा देते हैं। उन्होंने 24.12.2015 की वरिष्ठता सूची को भी चुनौती दी। रिट याचिका में उनकी प्रार्थनाएँ निम्नलिखित प्रभाव से थीं:

" i) दिनांकित 25.09.2014 की अस्थायी वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(अनुलग्नक-1), रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 (अनुलग्नक पी-4) और पूर्ण न्यायालय दिनांक 22.12.2015 (अनुलग्नक पी-5) का निर्णय और इसके परिणामस्वरूप आधिकारिक उत्तरदाताओं को पंजाब सुपीरियर से संबंधित अधिकारियों की एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश देना।

वर्ष 2008 में न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था

कानून के अनुसार और विशेष रूप से रोस्टर को लागू करके और उससे बहने वाले सभी परिणामी लाभों के अनुदान के लिए। सेवा की निरंतरता, पूर्ववर्ती पदोन्नति, वेतन का बकाया, उस पर ब्याज आदि। ;

iii) याचिकाकर्ताओं को अग्रिम नोटिसों की सेवा से छूट दी जाए। उत्तरदाताओं पर;

iv) याचिकाकर्ताओं को प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट देना। अनुलग्नक;

v) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिया जाए।

14. 2016 की एक और रिट याचिका No.1983 मुनीश सिंघल और दो अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी, जो दिनांकित 24.12.2015 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के लिए सीधे भर्ती किए गए थे। रिट याचिकाओं में प्रभावित पक्षों को शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने पंजीयक के माध्यम से रिट याचिका में लिखित बयान दायर किया

2016 का No.1056। प्रोमोटियों ने 2016 की रिट याचिका संख्या 1056 में भी अपना लिखित बयान दाखिल किया। डिवीजन बेंच ने पक्षों को सुना। सभी रिट याचिकाओं का निर्णय एक सामान्य निर्णय

द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने फैसले में पक्षों की प्रस्तुति, समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दिया था। फैसले के पैराग्राफ 102 में उच्च न्यायालय ने कहा है कि समिति ने आठ मुद्दे तैयार किए थे।

[2018] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 102 में समिति द्वारा बनाए गए आठ मुद्दे इस प्रकार हैं:

" (1) क्या 19.02.2008 दिनांकित पदोन्नति नियम के तहत की गई है 7 (3) (क) अनियमित या 'तदर्थ' कहे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और यदि ऐसा है,

किस प्रभाव से?

(2) क्या पद 'आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति' के लिए हैं

नियम 7 (3) (बी) जो कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होने के कारण अधूरा रहा

(न्यायिक शाखा) उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता की ओर 2007 के नियमों के नियम 23 के दूसरे परंतुक का दृष्टिकोण?

(5) क्या नियम 7 (3) (सी) के तहत सीधी भर्तियों को उस तारीख से वरिष्ठता दी जा सकती है जब उनके नामों की सिफारिश की गई थी। नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय?

'अनुग्रह नियुक्तियों' के रूप में माना जाएगा, और यदि ऐसा है, तो कानून में क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी 'नियुक्ति की मानित तिथि' क्या होगी? (7) क्या सूची (परिशिष्ट 'बी') को पढ़ा और लागू किया जा सकता है

वरिष्ठता के नियम के लिए?

एडीजे डब्ल्यू. ई. एफ. 24.6.2008 या उन्हें Sr.No.1 पर रखा जाए बृज मोहन लाल-द्वितीय में निर्णय के पैरा 146 (13) को ध्यान में रखते हुए बारी के बाहर पदोन्नति? ”

15. डिवीजन बेंच ने आगे ध्यान दिया कि रिट याचिका में

मुद्दा संख्या से संबंधित तर्कों को संबोधित किया गया था। 1,2,3,5 और 7. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पदोन्नति अधिक थी, इसलिए की गई पदोन्नति को कोटा से अधिक माना जाएगा और वे अपने कोटे में उपलब्ध पद की तिथि पर वरिष्ठता लेंगे। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीधी भर्तियों की सिफारिश की तारीख को वरिष्ठता के उद्देश्य से तारीख नहीं माना जा सकता है। वरिष्ठता के निर्धारण में रोस्टर की प्रयोज्यता पर, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि रोस्टर नियम, 2007 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने में लागू होगा। नियम के तहत रिक्तियां

7 (1) (ख) केवल 01.01.2011 से प्रभावी नियम 7 (1) (ए) में स्थानांतरित होगा। रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी और निर्णय का परिचालन भाग निहित है। पैराग्राफ 208 में जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 208. ऊपर वर्णित कारणों के लिए, रिट याचिकाएं हैं - अनुमति दी गई। विवादित वरिष्ठता सूची दिनांकित 24.12.2015 को अलग रखा गया है।

यह माना जाता है कि:

(i) 2007 के पंजाब नियमों के नियम 7 (3) (ए) [नियमित पदोन्नति] के तहत अधिकारियों की पदोन्नति को कोटा से परे माना जाता है, इसलिए,

हॉक। वे उस सेवा का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे

वरिष्ठता का उद्देश्य;

(iii) परिणामस्वरूप, नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नत अधिकारी 2007 के पंजाब नियमों को सबसे नीचे रखा जाएगा।

प्रत्यक्ष भर्तियों के बाद वरिष्ठता।

वरिष्ठता सूची को तदनुसार फिर से बनाया जाना चाहिए।

16. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से व्यथित

न्यायालय, उच्च न्यायालय ने 2017 की सिविल अपील Nos.5518-23 दायर की है।

17. कंवलजीत सिंह बाजवा और अन्य की दीवानी अपीलें और दीवानी अपील

जतिंदर कौर की अपील, सीधी भर्तियों द्वारा दो दीवानी अपील, अन्य दीवानी अपीलें पदोन्नत अधिकारियों द्वारा दायर की गई हैं, जिनकी पदोन्नति की गई थी।

तदर्थ माना जाता है और वरिष्ठता के निचले स्तर पर रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। पदोन्नति पाने वालों ने फैसले को चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि उच्च न्यायालय का फैसला काफी हद तक उनके पक्ष में था।

प्रस्तुतियाँ

18. श्री राजू रामचंद्रन और श्री अजीत सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ

वकील उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए हैं। श्री दुष्यंत दवे और श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील पेश हुए हैं।

बढ़ावा देते हैं। श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील, पदोन्नति पाने वालों की ओर से पेश हुए हैं। श्री निधेश गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा, हमने विभिन्न पक्षों की ओर से पेश होने वाली अपीलों के इस समूह में कई वकीलों को भी सुना है।

[2018

] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने पूर्ण न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की

यह नियम, 2007 के अनुसार था और पदोन्नत व्यक्ति पहली बार इस पद पर शामिल हुए थे और जब पदोन्नत व्यक्ति जिला न्यायाधीश संवर्ग के पद पर शामिल हुए, तो न तो प्रत्यक्ष भर्ती हुई और न ही बदले में पदोन्नत व्यक्ति संवर्ग में पैदा हुए थे।

20. श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्तता परीक्षण नहीं किया नियम 7 (3) (ए) के तहत जिसके लिए पदोन्नतियों को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। पदोन्नति की चुनौती को उस समय उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब

वरिष्ठता का निर्धारण। परिशिष्ट बी में दी गई सूची

नियम, 2007 केवल भर्ती के उद्देश्य से है और इसमें वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कोई आवेदन नहीं है। यदि फरवरी, 2008 में आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती, तो पदोन्नति प्राप्त करने वाले भी उपस्थित होते और परीक्षा में सफल होते। समय पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कोटा नियम टूट जाता है। पदोन्नति पाने वालों को नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है, भले ही वे कोटा से अधिक हों, उनकी सेवाओं पर विचार किया जाना चाहिए, पदोन्नति पाने वालों की नियुक्ति एक तदर्थ नियुक्ति नहीं है, इसलिए पदोन्नति पाने वालों द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी सेवा को वरिष्ठता के लिए गिना जाना चाहिए।

21. श्री के. वी. विश्वनाथन ने उस धारणा को प्रस्तुत किया जो बढ़ावा देती है

उनके कोटे से अधिक होना सही नहीं है। नियम, 2004 और नियम, 2007 द्वारा शुरू की गई सूची संभावित होनी चाहिए। गणना 43 रिक्तियों पर होनी चाहिए जो मौजूदा रिक्तियां थीं और कैडर की संख्या 107 नहीं थी। 43 रिक्तियों के अनुसार पदोन्नति के लिए कोटा 22 होगा, पदोन्नति के लिए 10 और सीधी भर्ती के लिए 11 होंगे। द. रोस्टर में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कोई आवेदन नहीं है। यह मानते हुए कि परिशिष्ट बी लागू होता है, यह कोटा के लिए है और चूंकि परीक्षा नहीं की गई है

समय पर रखा कोटा टूट गया है।

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

22. श्री पी. एस. पटवालिया ने पदोन्नति पाने वालों की ओर से पेश होते हुए कहा कि पदोन्नति पाने वालों द्वारा दिया गया पूरा तर्क गलत है। द. नियम 7 (3) (बी) के तहत कोटा का 7 (3) (ए) में परिवर्तन केवल तभी होगा जब परीक्षा आयोजित की जाएगी और नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगा।

नियम 7 (3) (बी) के तहत। कोटा सेवा में पद पर लागू होता है। उच्च न्यायालय ने रिक्तियों पर कोटा गलत तरीके से लागू किया है। 25 % मेधावी अधिकारियों में सुधार के लिए प्रोत्साहन के रूप में कोटा पेश किया गया था। चयन की तिथि पर, 53 पदोन्नत थे जो अपने कोटे से अधिक थे, 14 को सीधे भर्तियों द्वारा भरा गया था और नियमित पदोन्नतियों के लिए कोई रिक्तियां नहीं थीं। नियम 7 (3) (बी) के तहत कोटा को 7 (3) (ए) में बदलने का कोई सचेत निर्णय नहीं होने के कारण पदोन्नति पाने वाले किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। नियम 7 (3) (ए) और 7 (3) (बी) के तहत रिक्तियों को एक साथ रखने की अनुमति नहीं है। आउट ऑफ टर्न पदोन्नति ने कभी भी योग्यता पदोन्नति को चुनौती नहीं दी है।

23. श्री पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि रोस्टर वरिष्ठता पर लागू नहीं होता है। जब कैडर संख्या में कोटा निर्धारित किया जाता है तो नियम 7 (3) (ए) के तहत कोई रिक्ति नहीं होती है, लेकिन 15 पदोन्नति प्रभावित हुई हैं। उनके पदोन्नति कानून के अनुसार नहीं है। अगर हम नियम, 2007 के नियम 23 और पंजाब सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का अर्थ लगाते हैं, तो उन्होंने परीक्षा दी होगी या नहीं, यह अनुमान का क्षेत्र है।

सामंजस्यपूर्ण रूप से वरिष्ठता सेवा की अवधि के बल पर होनी चाहिए। हरियाणा सेवा नियमों का उल्लेख करते हुए श्री पटवालिया का कहना है कि

हरियाणा सेवा नियमों का रोस्टर वरिष्ठता के हिस्से के रूप में बनाया गया है, जबकि पंजाब सेवा नियमों में ऐसा नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने बहुत न्यायसंगत निर्णय लिया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

24. प्रत्यक्ष भर्तियों की ओर से पेश श्री निधेश गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता के अंतर-विवाद को कम करने के उद्देश्य से वरिष्ठता में रोस्टर पेश किया है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावी बनाया जाना है। नियम, 2007 की व्याख्या अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में की जानी चाहिए, जिसके निर्देशों के परिणामस्वरूप संशोधन नियम, 2004 और नियम, 2007 बने। अपनी रिट याचिकाओं में पदोन्नति पाने वालों ने वरिष्ठता के निर्धारण के लिए रोस्टर लागू करने का अनुरोध किया है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने निर्णय के मुख्य भाग में यह अभिनिर्धारित किया कि रोस्टर वरिष्ठता में लागू होता है, लेकिन परिचालन भाग में उक्त निष्कर्ष प्रतिबिंबित नहीं होता है जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को प्रस्तुत किया था।

गलत है। सूची को उद्देश्यों के लिए लागू होने के रूप में स्वीकार किया गया है वरिष्ठता की सूची रोस्टर के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।

यह

प्रस्तुत किया गया है [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भर्ती की प्रक्रिया 2 फरवरी, 2008 को शुरू की गई थी, जबकि

इसके बाद पदोन्नति और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति आयोजित की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी दिन सरकार को भेजी गई सिफारिशें लेकिन सीधी भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र बाद में प्राप्त किया गया था जिसका वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि सीधी भर्तियां हैं जिन्हें रोस्टर के अनुसार किया जाना है। नियम, 2007 के परिशिष्ट बी के साथ पठित नियम 7 (4) यह स्पष्ट करता है कि नियुक्ति रोस्टर के अनुसार की जानी चाहिए जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि वरिष्ठता नियुक्ति का अनुसरण करेगी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, बदले में पदोन्नतियों ने स्पष्ट रूप से कहा है

यह रुख अपनाया गया कि रोस्टर वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। पदोन्नति पाने वालों को इस माननीय न्यायालय के समक्ष विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आकस्मिक परिस्थितिसभ अर्थात जखन नियुक्तिक पत्र जारी कयल गेल छल ओ वरिष्ठताक आधार नहि भऽ सकैत अछि। इस तर्क को स्वीकार करना कि सेवा की अवधि से वरिष्ठता निर्धारित होनी चाहिए न कि रोस्टर, इस न्यायालय के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के फैसले के साथ-साथ नियम, 2007 को भी पराजित करना होगा। नियम, 2007 विशेष रूप से नियम 7, नियम 12, नियम 23 को परिशिष्ट बी के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि नियमों के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई पूर्वाग्रह न हो।

25. पक्षों के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया है जिन्हें इस पर विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा -

विस्तार से प्रस्तुतियाँ।

चर्चा

26. इस देश की अधीनस्थ न्यायपालिका हमारी न्यायिक प्रणाली की रीढ़ है। यह अधीनस्थ न्यायपालिका है जो संपर्क में आती है न्याय के प्रशासन में आम आदमी के साथ। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऊपर) में इस न्यायालय ने देखा है कि न्यायिक प्रणाली पर भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर निर्भर करता है। पैराग्राफ 27 में निम्नलिखित देखा गया था:

" 27 ..... अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की नींव है। इसलिए, किसी भी अन्य नींव की तरह, यह अनिवार्य है कि इसे यथासंभव मजबूत बनाया जाए। वजन.

न्यायिक प्रणाली पर अनिवार्य रूप से अधीनस्थ पर निर्भर करता है

न्यायपालिका "।

27. भारी जिम्मेदारी जो अधीनस्थ द्वारा अपने कंधे पर ली जाती है

न्यायपालिका सेवा की सम्मानजनक शर्तों और न्यायिक माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का संचालन करने वाले अधिकारियों की उचित आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की मांग करती है।

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

प्रणाली। सेवा में वरिष्ठता एक पदधारी के सेवा कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पदोन्नति, विभिन्न अनुलाभ और लाभ वरिष्ठता का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता के उचित दावों को उन सभी लोगों द्वारा मान्यता दी जाए और लागू किया जाए जिनके कंधों पर निर्धारण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (उपरोक्त) में अपने निर्देश से भर्ती के लिए एक समान प्रक्रिया और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियमों की आवश्यकता की है, जिसका उद्देश्य एकरूपता प्राप्त करना और अंतर-वरिष्ठता विवाद को यथासंभव कम करना है। अतः, इससे पहले कि हम विचार करने के लिए आगे बढ़ें

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करना उचित है जो सेवा नियम, 2007 की नींव है और उच्च न्यायिक सेवा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

28. जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1963 के नियमों में उच्च न्यायिक सेवा के पद को केवल दो तरीकों से भरने के प्रावधान थे, पंजाब सेवा से पदोन्नति और सीधी भर्ती। प्रारंभ में संवर्ग पदों की कुल संख्या दो-तिहाई पदोन्नति द्वारा और एक-तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा संचालित की जाती थी जिसे 28.1.1991 पर पदोन्नति द्वारा तीन-चौथाई और प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा एक-चौथाई के रूप में बदल दिया गया था। 29. विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अलग-अलग नियम थे। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग ने न्यायिक सेवा, इसकी सेवा शर्तों, भत्तों और मामले के सभी पहलुओं को अपने हाथ में लिया। इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार 21.03.1996 पर,

भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा प्रथम न्यायिक का गठन किया न्यायमूर्ति शेट्टी के अधीन आयोग। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग ने न्यायिक सेवा के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए 11.11.1999 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी प्रतिक्रिया पूछने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। उन प्रश्नों में से एक जो पहले विचार के लिए पड़े थे

न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती का तरीका था। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (ऊपर) में यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक अधिकारी के लिए कानून के ज्ञान से अवगत रहना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए निश्चित न्यूनतम मानक होना चाहिए, जो निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया गया हो। फैसले के पैराग्राफ 27 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 27 ..... यह आवश्यक है कि वे कानून के ज्ञान और नवीनतम घोषणाओं से अवगत रहें, और यही कारण है कि [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेट्टी आयोग ने एक की स्थापना की सिफारिश की है

न्यायिक अकादमी जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारी राय है कि उच्च अधिकारियों में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए कुछ न्यूनतम मानक, वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक सेवा। जबकि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी अधिवक्ताओं में से जिला न्यायाधीश संवर्ग में भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए, हमारी राय है कि एक

उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने की वस्तुनिष्ठ विधि। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कम उम्र के लोगों के बीच एक प्रोत्साहन भी होना चाहिए और

अन्य अधिकारियों को सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत नियुक्ति का अनुपात बनाए रखा जाता है, लेकिन हमारी राय है कि जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, दो तरीके होने चाहिए: 50 उच्च न्यायिक सेवाओं में कुल पद का प्रतिशत योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालयों को पता लगाने और जांच करने के लिए एक परीक्षण तैयार करना चाहिए और विकसित करना चाहिए

उन उम्मीदवारों का कानूनी ज्ञान और उनका आकलन करना

केस लॉ के पर्याप्त ज्ञान के साथ निरंतर दक्षता। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा

सीमित के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जिसके लिए योग्यता

सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इसमें एक नियम बनाना होगा।

ध्यान दें।

99

30. पैराग्राफ 28 में इस न्यायालय द्वारा विंग प्रभाव के लिए निर्देश जारी किए गए थे:

" 28. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हम उस भर्ती को उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला संवर्ग में करने का निर्देश देते हैं।

न्यायाधीश होंगे:

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

(1) (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत;

(बी) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत

कम से कम पाँच साल की योग्यता सेवा होना; और (ग) 25 प्रतिशत पदों को लिखित आदेश के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षण।

(2) उच्च न्यायालयों द्वारा यथासंभव उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे।

31. इस न्यायालय ने इस संबंध में गंभीर असंतोष को देखा है

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता। यह न्यायालय ved कि देश में मुकदमेबाजी की सबसे कम मात्रा वहाँ है जहाँ भर्ती की प्रणाली मौजूद है और जहाँ एक रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है।

पैराग्राफ 29 में विंग निर्धारित किया गया था:

" 29. अनुभव से पता चला है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों में सेवा में उनकी वरिष्ठता के संबंध में लगातार असंतोष रहा है। तीन दशकों से अधिक समय से, दो अलग-अलग स्रोतों, अर्थात् पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती से भर्ती किए गए अधिकारियों से सापेक्ष वरिष्ठता तय करने के लिए बड़ी संख्या में मामले शुरू किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आज के निर्णय से एक तरह से उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के तीन तरीके होंगे। पदोन्नति के लिए जो कोटा हमने निर्धारित किया है वह योग्यता-सह-सिद्धांत का पालन करते हुए 50 प्रतिशत है।

वरिष्ठता "सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता पर 25 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत। अनुभव से यह भी पता चला है कि जहां तक वरिष्ठता का संबंध है, देश में जहां भर्ती में आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वहां रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एक 40-बिंदु सूची निर्धारित की गई है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। शायद ही कभी, यदि कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच कोई मुकदमा हुआ हो, तो वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई व्यक्ति [2018] 13 एस. सी. आर.

और आर. के. सभरवाल और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित। वी. पंजाब राज्य [1995] 2 एससीसी 745। किसी भी मुकदमेबाजी से बचने और इस संबंध में निश्चितता लाने के तरीकों में से एक पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करना है न कि रिक्तियों के संबंध में। यह मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर 40 अंकों की सूची बनाई जाती है। काम करता है। हम उच्च न्यायालयों को उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश देते हैं और

आर. के. सभरवाल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित रोस्टर सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठता नियमों को जल्द से जल्द लागू करें। हम आशा करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप, वरिष्ठता के निर्धारण में आगे कोई विवाद नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली केवल संभावित रूप से लागू हो सकती है, सिवाय इसके कि प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता कोटा और आवर्तन प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जानी है। उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मौजूदा सापेक्ष वरिष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन भविष्य के लिए रोस्टर विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त नियमों और विधियों को उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

राज्य, जहाँ भी 31-3-2003 द्वारा आवश्यक हो।

32. इस न्यायालय के दिनांक 21.03.2002 नियमों के निर्णय के अनुसरण में, 2004 में पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (फर्स्ट एंडमेंट) नियम, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था, जहां मौजूदा नियमों के लिए निम्नलिखित नियम हैं -

प्रतिस्थापित किया:

" 8. सेवा में भर्ती। - सेवा में भर्तियाँ होंगी

निम्नलिखित तरीके से बनाया गया:

(क) योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच से पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत;
(ख) कम से कम पाँच वर्ष के सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत

योग्यता सेवा;

(ग) 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों की मौखिक परीक्षा से युक्त परीक्षा आयोजित करके पात्र अधिवक्ताओं में से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत

उच्च न्यायालय द्वारा संचालित किया जाए "।

नंदीगढ़ बनाम में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]33. पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 को 3 सितंबर, 2007 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नियम 7 विधि बिंदु से संबंधित है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" 7. नियुक्ति की विधि। — (1) पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति सदस्यों में से की जाएगी। उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर राज्यपाल द्वारा पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)।

(2) सेवा में सीधी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से की जाएगी।

उच्च न्यायालय द्वारा संचालित आवाज।

(3) सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित में की जाएगी: तरीका -

(ख) सिविल न्यायाधीशों की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत (सीनियर डिवीजन) कम से कम पाँच साल की योग्यता होना

सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा; और

(ग) पच्चीस प्रतिशत पदों को प्रत्यक्ष रूप से भरा जाएगा।

उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से नियुक्ति

अदालत।

स्पष्टीकरण। — खंड (ए) और (बी) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति के लिए योग्यता सेवा या तो सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर अलग से होनी चाहिए।

या उक्त पदों में से किसी पर सेवा को जोड़कर।

(4) इन पदों को सूची के अनुसार भरा जाएगा।

" 12.वरिष्ठता। — (1) पंजाब सिविल के सदस्यों में से पदोन्नत पदोन्नत अधिकारियों की मूल वरिष्ठता सेवाओं (न्यायिक शाखा) को बाधित नहीं किया जाएगा।

(2) आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नत अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता योग्यता के क्रम में होगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(3) प्रत्यक्ष नियुक्तियों की अंतर वरिष्ठता इस पर होगी -

उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योग्यता का आधार: बशर्ते कि एक अधिकारी, जिसे रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जो, यथास्थिति, बारी से बाहर के पदोन्नत अधिकारियों या सीधे नियुक्तियों से संबंधित है, को उक्त पद पर कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे अधिकारी को दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

सेवा के लिए इस तरह की तदर्थ सेवा की अवधि को जोड़ना

वरिष्ठता के उद्देश्य से "।

35. नियम 23 पंजाब सिविल सेवाओं के अनुप्रयोग से संबंधित है।

ईआरएल और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1994 जो इन नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं। नियम 23 निम्न है:

" 23. पंजाब सिविल सेवा (सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें नियम, 1994) का अनुप्रयोग। - (1) उन मामलों के संबंध में, जो इन नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, सेवा के सदस्य पंजाब सिविल सेवाओं (सामान्य) द्वारा शासित होंगे। और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1994, यथा संशोधित

समय-समय पर:

बशर्ते कि 1994 के उक्त नियम प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा कि इन नियमों के नियम 5,7,12,13,19,20 और 21 में निहित है:

बशर्ते कि द्वारा निर्धारित सेवा की शर्तें

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के पास एक ओवर राइडिंग होगी प्रभाव पड़ता है।

(2) पंजाब सिविल सेवा (सामान्य और सामान्य सेवा की शर्तें) नियम, 1994, वर्तमान में लागू हैं। परिशिष्ट 'ई'।

36. नियम, 2007 में निर्दिष्ट सूची के लिए परिशिष्ट 'बी' प्रदान किया गया है।

37. जैसा कि वर्तमान मामले में ऊपर देखा गया है कि नियम 7 (3) (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित सभी धाराओं के लिए भर्तियां 08 को पूरा कर ली गई थीं और सभी पदधारी भी 2008 में अपने पद पर शामिल हुए थे। विवाद यह है किउपरोक्त तीन धाराओं की वरिष्ठता। प्रस्तुतियों से

पक्षकारों के लिए नियुक्त वकील और अभिलेख पर अभिवचन निम्नलिखित हैं -

अपीलों के इस समूह में विचार के लिए उत्पन्न हुए मुद्दे:

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

(1) चाहे नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नत किए गए हों, 15 संख्या में जिन्हें फरवरी में पदोन्नत किया गया था और वे अपने पद पर शामिल हुए थे।

2008 ये थे: (क) उनके कोटे से अधिक, (ख) उनकी नियुक्ति को तदर्थ नियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, (ग) उन्हें वरिष्ठता के निचले स्तर पर रखा जाना चाहिए।

(2) क्या तीनों धाराओं से संबंधित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति नियम 7 (4) के अनुसार रोस्टर के आधार पर की जानी है जिसे परिशिष्ट बी के साथ पढ़ा जाता है।

नियम, 2007।

(3) क्या अंतर से वरिष्ठता के निर्धारण के लिए

तीनों धाराओं के लिए रोस्टर के आधार पर होना चाहिए

परिशिष्ट बी के साथ पठित नियम 7 का अनुसरण।

(4) फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों की अंतर वरिष्ठता कैसे होनी चाहिए

निर्धारित किया गया जो पहले फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के रूप में काम कर रहे थे और अवशोषित किया गया है और विभिन्न धाराओं में नियमित संवर्ग में लिया गया है

नियम 7 (3) (ए), (बी) और (सी) के तहत।

(5) राहत, यदि कोई हो।

मुद्दा संख्या 1: क्या पदोन्नति उनके कोटे से अधिक है?

38. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के कैडर की संख्या को 10.11.2007 पर 107 माना है। द.

नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नति कोटा 53 के रूप में निर्धारित किया गया था और वास्तविक कार्यशीलता 58 पाई गई थी। उच्च न्यायालय ने देखा कि 05 अधिकारी अधिक काम कर रहे थे। 25 नियम 7 (3) (बी) के तहत 27 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया था, जो खाली पाया गया था। पद पर तैनात अधिकारियों को छोड़कर 21 के रूप में सीधी भर्तियां भी निर्धारित की गईं। 14 पद थे

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया। उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि क्या कोटा संवर्ग की संख्या के निर्धारण के लिए देखा जाना है या रिक्तियों के आधार पर कोटा निर्धारित करने के लिए विभाजन करना है।

संबंधित कोटे के अनुसार रिक्तियां। मुद्दा अब समाकलन का नहीं है। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पैरा 29 में कहा है कि "किसी भी मुकदमे से बचने और इस संबंध में निश्चितता लाने के तरीकों में से एक पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करना है, न कि इन मामलों के संबंध में। रिक्तियां "। श्रीकांत राय और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, (2017) 1 एस. सी. सी. 457

सीमित [2018] 13 एस. सी. आर. के संबंध में रिक्तियों की संख्या के प्रश्न का निर्धारण करते समय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की तरह झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा में कहा गया है कि "कैडर की संख्या को हमेशा कैडर वाले पदों की संख्या से मापा जाता है और कोटा के प्रतिशत को उन पदों की संख्या के संबंध में निर्धारित किया जाना चाहिए जो कैडर बनाते हैं और जो रिक्तियां होने वाली हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 24. उच्च न्यायालय ने "पद" और "रिक्ति" के बीच के अंतर की अनदेखी की है। यदि प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित कोटे के विरुद्ध आवश्यक पद पहले ही समाप्त हो चुके थे भर्ती, केवल इसलिए कि कुछ रिक्तियां होती हैं, यह इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सेवा में भर्ती के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ खुला नहीं होगा।

सीमित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा न्यायिक अधिकारी

जाँच। कैडर की ताकत को हमेशा कैडर वाले पदों की संख्या से मापा जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा केवल दिए गए संवर्ग में एक पद के संबंध में किया जा सकता है। आरक्षण का प्रतिशत उन पदों की संख्या के संबंध में निर्धारित किया जाना चाहिए जो संवर्ग बनाते हैं और जो रिक्तियां होंगी उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है

अधिकारी अधिक थे, क्योंकि 2008 के चयन से पहले कार्यबल 58 था। उपरोक्त गणना 50 प्रति निर्धारित करके की गई है। 107 का प्रतिशत। क्या उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्धारण में कोई भ्रांति की गई है, इसकी जांच की जानी है। इसके बावजूद, गणितीय गणना पर निर्धारण, यानी पदोन्नतों के लिए संवर्ग संख्या का 50 प्रतिशत लेना 53 हो जाता है। इस प्रकार, क्या 5 अधिकारी, जो पाए गए थे

उनके कोटे से अधिक होना सवाल का एक हिस्सा है और सवाल का दूसरा हिस्सा यह होगा कि रिक्तियों की संख्या कितनी है? नियम 7 (3) (बी) के तहत आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए निर्धारित किया जाएगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि 28.01.1991 से, नियम 8 में संशोधन किया गया था जिसमें तीन-चौथाई संवर्ग को पदोन्नत अधिकारियों और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भरा जाना था।

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा एक-चौथाई। उपरोक्त स्थिति तब तक जारी है जब तक कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के निर्देश के तहत 2004 में नियमों में संशोधन नहीं किया गया था।

40. पहली बार आई. डी. 1 पर पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स में संशोधन करके नियम 8 के तहत पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 25 प्रतिशत और जहां तक सीधी भर्तियों की बात है, तो पहले 25 प्रतिशत रखा गया था। इस प्रकार, मुद्दा केवल योग्यता-सह-वरिष्ठता और बारी के बाहर पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति के लिए आरक्षण के संबंध में था। इस न्यायालय ने पैरा 29 में अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (ऊपर) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि

जिस प्रणाली को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 27,28 और 29 के माध्यम से लागू करने का निर्देश दिया गया था, उसे संभावित रूप से लागू किया जाना था। इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालयों द्वारा उचित नियम और तरीके अपनाए जाएंगे और

31 मार्च, 2003 तक जहां भी आवश्यक हो, राज्यों द्वारा अनुमोदित। 2004 तक, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोटा 75 प्रतिशत था, 13.09.2007 पर कैडर की संख्या 89 थी, जिसे 10.11.2007 पर 107 के रूप में बढ़ाया गया था। 15.01.2004 पर नियमों में संशोधन के बाद 10 अधिकारियों की पदोन्नति की गई। उच्च न्यायालय की दीवानी अपील में यह उल्लेख किया गया है कि 2004 से पहले पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा की संवर्ग संख्या 88 थी। इस प्रकार, वर्ष 2004 में, जब संवर्ग की संख्या 88 थी, 75 प्रतिशत पदों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के तहत पदोन्नतियों द्वारा संचालित किया जाना था, यानी 66 पदोन्नत अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने थे। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय संभावित होने के कारण, असंशोधित नियमों से पहले मौजूद अधिकारियों का अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता है। नियम, 2004 के संशोधन से पहले एक प्रमोटर, जो अपने कोटे के भीतर था, अचानक बाहर नहीं जा सकता है

केवल नियमों के संशोधन के बल पर उनके कोटे की अधिकता हो जाती है, जो प्रकृति में संभावित हैं। कोटा निर्धारित करने के लिए, संवर्ग की संख्या, जो संशोधित नियमों से पहले और संशोधित नियमों के बाद मौजूद थी, को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। पदोन्नति कोटा,

जो 2004 के नियमों से पहले 75 प्रतिशत था, संशोधन दिनांक 1 से पहले के अनुसार उनके कोटे में 66 पद हैं, जब संवर्ग की संख्या 89 से बढ़ाकर 107 कर दी गई है, तो संवर्ग में 18 पदों को और जोड़ना होगा। यह वृद्धि दिनांक 15.01.2004 के नियमों में संशोधन के बाद की गई है, इस संवर्ग संख्या पर, कोटा के विभाजन के लिए संशोधित नियम लागू किए जाएंगे। 18 नव सृजित पदों पर, 50 प्रतिशत 9 पर आता है, आउट ऑफ टर्न के लिए 4.5 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 4.5। इस

प्रकार संवर्ग की वृद्धि पर या उसके बाद पदोन्नत अधिकारी 66 + 9 हो सकते थे। 75. उच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील में, यह [2018] 13 एस. सी. आर. भी है।

संकेत दिया कि योग्यता-सह-वरिष्ठता के 50 प्रतिशत कोटे के तहत अक्टूबर, 2004 में 10 पदोन्नति प्रभावित हुए थे। आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले नियम लागू हैं, कम से कम कुछ रिक्तियां

आउट ऑफ टर्न पदोन्नति को दिया जाना चाहिए था। 2004 से 2008 के बाद की गई किसी भी पदोन्नति या नियुक्ति का कोई विवरण नहीं है। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (ऊपर दिए गए) में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार, जो राज्य द्वारा नियमों में आवश्यक था, आउट ऑफ टर्न पदोन्नति कोटा को हटा दिया गया है, उक्त कोटा केवल संभावित रूप से अस्तित्व में आएगा। एक आउट ऑफ टर्न प्रोमोटरी यह दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें पहले दिन से ही कैडर संख्या का 25 प्रतिशत पद दिया जाना चाहिए। यह सच है कि कोटा काडर के आधार पर निर्धारित किया जाना है

क्षमता लेकिन संवर्ग की संख्या का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि डब्ल्यू. ई. एफ. में संशोधित नियम संभावित थे।

41. इस प्रकार, हम प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा रिक्ति की गणना में कोई पेटेंट त्रुटि नहीं पाते हैं और इसके परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग धाराओं से की गई भर्ती इस तरह के दृढ़ संकल्प के भीतर थी और इसे दोष नहीं दिया जा सकता है। नियम 7 (3) (ए) के तहत अधिकारियों की पदोन्नति नियमों के अनुसार थी और पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति मानने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही उन्हें वरिष्ठता के निचले स्तर पर धकेल दिया जा सकता है। नियमों का नया सेट, भर्ती की नई योजना, 2007 के नियमों द्वारा लाए गए वरिष्ठता के निर्धारण के नए नियम, इसका कार्यान्वयन सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी मौजूदा अधिकार को पराजित न किया जा सके। नए नियमों की योजना और अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा चित्रित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नियमों के यांत्रिक अनुप्रयोग से बचना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। विभिन्न धाराओं द्वारा भरे जाने वाले पदों का आवंटन करते समय, कैडर की संख्या, विशेष धारा के अधिकारियों की स्थिति, प्रत्येक धारा के कोटे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेष वर्ष में भर्ती के लिए मौजूद रिक्तियों को 50,25 और 25 प्रतिशत के अनुपात में यांत्रिक रूप से विभाजित नहीं किया जाना है।

क्या उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति तीनों धाराओं से संबंधित सेवाएँ नियम, 2007 के परिशिष्ट बी के साथ पढ़े गए नियम 7 (4) के अनुसार रोस्टर के आधार पर की जानी चाहिए।

और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

क्या अंतर से वरिष्ठता के निर्धारण के लिए

तीनों धाराओं को आधार पर होना चाहिए

परिशिष्ट बी के साथ पठित नियम 7 के अनुसरण में सूची?

42. पदोन्नतियों, प्रत्यक्ष भर्तियों और बारी के बाहर पदोन्नतियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों में अंतर के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, इसके निर्धारण के लिए रोस्टर की प्रयोज्यता के बारे में है

वरिष्ठता। अब तक आउट ऑफ टर्न पदोन्नति का संबंध है, हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों और प्रस्तुतियों में, आउट ऑफ टर्न पदोन्नति ने वरिष्ठता में रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना की, लेकिन

इस न्यायालय में उन्होंने एक झटका लिया है और अब यह तर्क दे रहे हैं कि रोस्टर वरिष्ठता में लागू नहीं है।

43. सेवा न्यायशास्त्र में रोटा और कोटा एक प्रसिद्ध अवधारणा है, जो विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में सेवा नियमों में परिलक्षित होती है।

सेवाएँ। पदोन्नति और प्रत्यक्ष के बीच कोटा पूरे वर्तमान में था

1963 के नियमों में, जिसे 2007 के नियमों में और बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने रोस्टर प्रणाली के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। पैरा 29 में, यह आयोजित किया गया था:

" अनुभव से यह भी पता चला है कि देश में मुकदमेबाजी की सबसे कम मात्रा, जहां भर्ती में कोटा प्रणाली मौजूद है, जहां तक

वरिष्ठता का संबंध है, जहां एक रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एक 40-बिंदु रोस्टर है जो निर्धारित किया गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। शायद ही कभी, यदि कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच कोई मुकदमा हुआ हो, तो वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई व्यक्ति कब है।

भर्ती की जाती है। जब रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है, तो किसी भी विवाद के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 40 अंकों की सूची पर विचार किया गया है। और आर. के. सभरवाल बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित। पंजाब राज्य,

(1995) 2 एससीसी 745 "।

44. अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देश से नियम, 2007 में संशोधन किया गया है। अब, नियमों पर वापस आते हैं,

2007 , 2007 के नियमों के वास्तविक उद्देश्य और आशय का पता लगाने के लिए दो नियमों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। नियम 7, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भर्ती की विधि के लिए प्रावधान करता है, उप-नियम (3) सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत, विभागीय [2018] 13 एस. सी. आर. के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत किया जाएगा।

सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की प्रतियोगी परीक्षा और 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। उपखंड (4), जो प्रासंगिक है, प्रदान करता है कि "इन पदों को परिशिष्ट-बी के रूप में संलग्न सूची के अनुसार भरा जाएगा"। परिशिष्ट-बी का भाग, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है (केवल भाग उद्धृत किया गया है):

" एपेन्डिक्स 'बी'

[नियम 7 का उप-नियम (4) देखें]

रोस्टर

रॉस्टर रिक्रूटमेंट के तरीके का संकेत दे रहे हैं

क्रमवार

नियम

स्रोत

नहीं।

7

(3) (अ)

1 .

के आधार पर पदोन्नत अधिकारी

वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता

7

(3) (अ)

के आधार पर पदोन्नत अधिकारी

2 .

वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता

7

(3) ((ग)

बार से सीधी भर्ती

3 .

7

(3) (ख)

4 .

सीमित के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी

प्रतियोगी परीक्षा

7

(3) (अ)

के आधार पर पदोन्नत अधिकारी

5 .

वरिष्ठता-सह-सुयी योग्यता

XXXXXXXXXXXXX

7

(3) (अ)

के आधार पर पदोन्नत अधिकारी

89 .

वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता।

45. उप-नियम (4) में "पदों को भरा जाएगा" वाक्यांश का उपयोग किया गया है। द.

परिशिष्ट-बी में। विभिन्न धाराओं में भर्ती में विभिन्न और अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाओं में कम समय लग सकता है जैसे नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नति, जबकि 7 (3) (सी) के तहत सीधी भर्ती जैसी कुछ प्रक्रियाओं में अधिक समय लगता है। प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए, जो एक अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा है, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सम्मानित किया जाता है।

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

उत्तर पुस्तिकाओं में भाग लेने और मूल्यांकन करने और वाइवा-वॉस आयोजित करने में पर्याप्त समय लगता है। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा रोस्टर द्वारा भर्ती करने का उद्देश्य वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित विवादों को समाप्त करना था। नियम 7 (4) और परिशिष्ट-बी को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि नियमों के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। जब इस न्यायालय ने वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया, तो नियम, 2007 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन कर सकता है। का अनुच्छेद 141

संविधान में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संदर्भ में, ओ. पी. सिंगला और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है। भारत संघ और अन्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 450, इस न्यायालय के पास वरिष्ठता और पदोन्नति के मुद्दे पर विचार करने का अवसर था।

अस्थायी पदोन्नति के संदर्भ में, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के संबंध में प्रत्यक्ष भर्ती कोटा नियम। इस न्यायालय ने पैरा 17 में अभिनिर्धारित किया कि जब कोई नियम या धारा अभिन्न योजना का हिस्सा है, तो इसे अलग से नहीं माना जाना चाहिए या इसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

" 17 ....हालाँकि, यह अच्छी तरह से माना जाता है कि, जब एक नियम

या एक खंड एक अभिन्न योजना का एक हिस्सा है, यह नहीं होना चाहिए

क्रम में प्रासंगिक नियमों या अनुभागों के फासिकुलस की योजना उनमें से किसी एक या अधिक का सही अर्थ निर्धारित करना। अ.

एक प्रावधान पर अलग से विचार करने से कुछ जोखिम पैदा होते हैं।

अन्य अंतर-संबंधित प्रावधान निरर्थक या अर्थहीन हो जाते हैं।

इससे अगले नियम पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, अर्थात्, नियम 8। यह खंड 2 द्वारा प्रदान करता है कि:

" प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता बनाम पदोन्नतियों की वरिष्ठता होगी

रिक्तियों के बीच आवर्तन के क्रम में निर्धारित किया गया के कोटा के आधार पर सीधी भर्ती और पदोन्नति

नियम 7 द्वारा दोनों श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां

कि पहली उपलब्ध रिक्ति एक सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी

और पदोन्नतियों द्वारा अगली दो रिक्तियां आदि।

(जोर दिया गया)

और नियम 7 के परंतुक का सही इरादा यह है कि एक तिहाई सेवा में मूल पदों में से प्रत्यक्ष [2018] 13 एस. सी. आर. के लिए आरक्षित होना चाहिए।

भर्ती। अन्यथा न तो कोई अवसर होता और न ही कोई अवसर।

प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच रिक्तियों को घुमाने का औचित्य और

बढ़ावा देते हैं। नियम 8 (2), जो वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है

सेवा के सदस्यों के बीच, यह कहते हुए नियम 7 के परंतुक की व्याख्या के लिए एक कुंजी प्रदान करता है कि

परंतुक "कोटा" निर्धारित करता है और दोनों के लिए रिक्तियां आरक्षित करता है। श्रेणियाँ। नियम 7 के परंतुक की भाषा निश्चित रूप से सम्मानजनक नहीं है और अगर इसका इरादा प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए कोटा निर्धारित करना था तो यह अपरंपरागत है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, परंतुक को नियम 8 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों प्रावधान आपस में जुड़े हुए हैं। उनके संयुक्त पढ़ने से परिणाम मिलता है लेकिन एक परिणाम, कि

परंतुक प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए एक तिहाई का कोटा निर्धारित करता है।

46. एक प्रस्तुति, जिसके लिए विद्वान वकील द्वारा दबाव डाला गया था

पदोन्नति पाने वालों के साथ-साथ पदोन्नति पाने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने कहा कि 2007 में ही हरियाणा के लिए न्यायिक सेवा नियम, अर्थात् हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स का संपादन किया गया है, जिसमें नियम, यह स्पष्ट रूप से नियम के नियम 10 द्वारा खंड बी के तहत सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता के लिए प्रदान किया गया था और नियम 6 के (सी) रोस्टर में एन के रूप में वरिष्ठता सूची में उनका स्थान लेगा। हरियाणा नियमों का नियम 10 इस प्रकार है:

" 10. वरिष्ठता।

(i) (क) नियम 6 (क) के तहत उसी बैच में पदोन्नत हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों की अंतर वरिष्ठता हरियाणा सिविल सेवा के समान होगी।

(न्यायिक शाखा)।

(ख) नियम 6 (ख) के तहत पदोन्नत हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य की अंतर वरिष्ठता चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता के क्रम में होगी। (ग) नियम 6 (ग) के तहत सेवा में सीधी भर्ती की अंतर वरिष्ठता उच्च न्यायालय की चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर होगी।

भर्ती।

(घ) नियम 6 के तहत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता की स्थिति रोस्टर में दी गई होगी।

((ii) खंड (क), (ख) के तहत सेवा में भर्ती किया गया व्यक्ति और

(ग) नियम 6 का वह वरिष्ठता सूची में अपना स्थान लेगा जैसा कि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दिखाया गया है।

अनुलग्नक सूची चाहे वह वास्तव में किस तारीख को हो

सेवा में शामिल हों।

नियम 6 के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट श्रेणियों से संबंधित, पद पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। वह इस उद्देश्य के लिए अपनी तदर्थ सेवा की अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने का हकदार नहीं होगा -

वरिष्ठता:

बशर्ते कि मौजूदा नियम शासन करना जारी रखेंगे

सेवा के मौजूदा सदस्यों की वरिष्ठता के मामले।

47. यह बताया गया है कि हरियाणा के न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सुपीरियर न्यायिक नियम, 2007 दोनों को हरियाणा सरकार द्वारा भेजा गया था।

इसी तरह से उच्च न्यायालय, जहां उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना वरिष्ठता से संबंधित प्रस्तावित नियमों को बदलकर सरकार द्वारा पंजाब नियम प्रकाशित किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेप में कहा

हरियाणा नियम, 6,7,8 और 9 को ध्यान में रखते हुए पैरा 181 में दिए गए निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य को अधिसूचना के लिए इसी तरह के नियमों की सिफारिश की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना अपने स्तर पर बदल दिया गया।

48. वर्तमान मामले में, हमें इस मुद्दे में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रस्तावित किया गया था और सरकार द्वारा क्या परिवर्तन किए गए थे। नियमों को अधिसूचित करना। विवादित फैसले में उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देश को लागू करने पर विचार किया है और उच्च न्यायालय के लिए यह स्पष्ट था कि रोस्टर के अनुसार तीनों धाराओं की नियुक्ति भी रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, नियम-पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह संकेत दे सके कि रोस्टर द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण के विपरीत कोई प्रावधान है। केवल तथ्य जो कहा गया है

नियम स्पष्ट नहीं हैं या यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर के आधार पर किया जाना निर्णायक नहीं है। उद्देश्य और

परिशिष्ट-बी के साथ पठित नियम, 2007 के नियम 7 का उद्देश्य स्पष्ट है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सूची का पालन किया जाना है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस मुद्दे पर विचार किया है कि क्या रोस्टर वरिष्ठता के निर्धारण में लागू होता है या नहीं। अंक संख्या 7 जैसा कि ऊपर देखा गया था, जिसे समिति द्वारा तैयार किया गया था और [2018] 13 एस. सी. आर. भी था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि "क्या रोस्टर (परिशिष्ट-बी) को पढ़ा जा सकता है और वरिष्ठता के नियम पर लागू किया जा सकता है"। विस्तृत चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने पैरा 180 में निष्कर्ष निकाला:

" इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि तीन अलग-अलग स्रोतों से भर्ती किए गए अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रोस्टर लागू होगा। वही रूप परिशिष्ट 'बी' के रूप में नियमों का हिस्सा हैं, लेकिन भर्ती के लिए रोस्टर का उल्लेख करना, हालांकि, इसके लिए भी लागू होगा।

वरिष्ठता का निर्धारण "।

50. इस मोड़ पर, पदोन्नतियों के लिए विद्वान वकील द्वारा जोर देकर कही गई दलीलों में से एक यह है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, सेवा की निरंतर अवधि निर्धारक है। प्रत्यक्ष भर्ती और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति, जो थे

जब पदोन्नतियों को पदोन्नत किया गया था, तब भी वे संवर्ग में पैदा नहीं हुए थे, उन्हें पदोन्नतियों के बाद वरिष्ठता लेनी होती है। इस संदर्भ में, भारत संघ और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है। एन. आर. परमार और अन्य, (2012) 13 एस. सी. सी. 340, उक्त मामले में मुद्दा सीधे भर्तियों बनाम पदोन्नति और कोटा और रोटा सिद्धांतों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण का भी मुद्दा था। इस न्यायालय के पास द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन पर विचार करने का अवसर था

सरकार दिनांकित 22.12.1959। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 पर ध्यान देते हुए निर्णय के पैरा 23 में निम्नलिखित कहा गया था:

" 23. केंद्रीय सेवाओं में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांतों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय (इसके बाद के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22-12-1959 के एक अनुलग्नक में निर्धारित किया गया है।

" ओ. एम. दिनांकित 22-12-1959)। ऊपर निर्दिष्ट अनुलग्नक के पैरा 6 में अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने का तरीका निर्धारित किया गया है।

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति के बीच। पैरा 6 को नीचे निकाला जा रहा है:

" 6. प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता।

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार किया जाएगा जो कि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आरक्षण पर आधारित होगा।

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या

क्रमशः विभाग के नियमों में "।

1959 के ओ. एम. के उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच "कोटा" को वरिष्ठता नियम में पढ़ा जाना था। ओ. एम. ने एक के लिए भी प्रावधान किया

पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच वरिष्ठता अंकों ("रोटा") का निश्चित आवर्तन। प्रदान किया गया आवर्तन पदोन्नति और प्रत्यक्ष के बीच कोटा के आवर्तन की अवधारणा पर आधारित था। भर्ती। इसलिए यह स्पष्ट है कि ओ . एम. दिनांक 22-12 1959 के तहत पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर वरिष्ठता "कोटा" और "रोटा" सिद्धांत पर आधारित थी। इनमें से कुछ उपकरणों में इसे सार्थक रूप से "कोटा के आवर्तन" के रूप में वर्णित किया गया है।

51. ऐसी स्थिति का ध्यान रखने के लिए 07.02.1986 पर एक और कार्यालय ज्ञापन था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में, जबकि सीधे भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोटा के आवर्तन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, वर्तमान में इसे बनाए रखने की प्रथा है।

बाद के वर्षों की सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त स्थानों को हटा दिया जाएगा, जिससे उन्हें पहले से ही पद पर तैनात पदोन्नतियों पर अनपेक्षित वरिष्ठता मिल जाएगी। इस न्यायालय ने आई. डी. 1 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान दिया और कहा कि "जब सीधी भर्तियां या पदोन्नति बाद की परीक्षाओं या चयनों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं", तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि जिस स्थिति पर विचार किया गया है, वह वह है जहां पहले परीक्षा या चयन हुआ है, और उसके बाद "बाद में" परीक्षा या चयन किया जाता है।

52. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 31.2 में निम्नलिखित निर्धारित किया है कि "यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति की सीधी भर्ती की जाए।

भर्ती वर्ष, भर्ती वर्ष के भीतर ही शामिल होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए शामिल होने की तारीख एक प्रासंगिक कारक नहीं होगी। पैराग्राफ 31.2 और 34.1 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 31.2 . यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती, भर्ती वर्ष (जिसके दौरान रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं) के भीतर ही शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार, शामिल होने की तारीख निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक नहीं होगी

प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता। यदि भर्ती वर्ष [2018] 13 एस. सी. आर. के भीतर सीधी भर्ती रिक्तियों के लिए कार्रवाई शुरू की गई है तो यह पर्याप्त होगा।

जिसमें रिक्तियां उपलब्ध हो गई थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई में देरी, यह महसूस किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी उचित वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, भर्ती वर्ष के भीतर भर्ती के लिए कार्रवाई की शुरुआत संबंधित नियुक्तियों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी। " कोटा सिद्धांत का आवर्तन, ताकि उन्हें उसी भर्ती वर्ष की रिक्तियों के लिए अन्य नियुक्तियों (वैकल्पिक स्रोत से) के साथ व्यवस्थित किया जा सके।

34.1 . यदि भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं) के दौरान ही शुरू की गई है, भले ही उक्त भर्ती के लिए परीक्षा बाद में आयोजित की गई हो।

वर्ष, और परिणाम एक वर्ष बाद घोषित किया जाता है (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी), और चयनित उम्मीदवार एक और बाद के वर्ष में शामिल हुए (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परिणाम घोषित किया गया था), चयनित उम्मीदवार भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियों की मांग की गई थी) के संदर्भ में वरिष्ठता सौंपे जाने के हकदार होंगे। उपरोक्त निष्कर्ष (ओ. एन. दिनांक 2-2-2000 में व्यक्त) के लिए तर्क और तर्क यह है कि यदि सीधी भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष में ही शुरू की जाती है, तो चयनित उम्मीदवार (ओं) को चयन प्रक्रिया को पूरा करने में प्रशासनिक देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

53. वर्तमान मामले में, तीनों धाराओं के लिए प्रक्रिया वर्ष 2008 में पूरी की गई थी और तीनों धाराओं के सभी अधिकारियों ने

उसी वर्ष शामिल हुए। यह निवेदन कि कोटा रोटा नियम तोड़ा गया था या वरिष्ठता पहले एक श्रेणी के अधिकारियों के शामिल होने के कारण प्रभावित होगी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य और भर्ती के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना था

निश्चितता। विभिन्न धाराओं से संबंधित अधिकारियों को विश्वास होना चाहिए कि उन्हें उनके कोटे के तहत भर्ती किया जाएगा और उनके अनुसार वरिष्ठता प्राप्त होगी।

उनका कोटा और रोस्टर। यदि किसी विशेष धारा में शामिल होने की तारीख के साथ वरिष्ठता तय की जानी है, तो इससे अनिश्चितता पैदा होगी और प्रशासनिक अधिकारियों के आधार पर वरिष्ठता होगी, जो न तो सेवा के हित में है और न ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सूची पूरी तरह से लागू होती है। किसी विशेष वर्ष में चुने गए विभिन्न धाराओं के अधिकारी, भले ही उन्हें अलग-अलग तिथियों पर पद में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, उनकी अंतर वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेंगे, जो रोस्टर के आधार पर तय की जानी है।

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति जिसमें शामिल हैं

2008 की भर्ती में तीनों धाराओं की सूची का चयन करें।

54. उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर पंजाब सरकार द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के तहत पंद्रह अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।

50 % नियम 7 (3) (ए) के तहत कोटा में छह अधिकारी भी शामिल थे जो फास्ट ट्रैक अदालतों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। इसी तरह, बारी के बाहर पदोन्नति के लिए कोटा के तहत आठ न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के नियुक्ति आदेश में एक अधिकारी श्री अरुणवीर वशिष्ठ शामिल थे, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। संभावित वरिष्ठता सूची से संकेत मिलता है कि दो अधिकारियों परमिंदर पाल सिंह (Sl.No.15 पर) और सुखदेव सिंह (Sl.No.16) को सीधे भर्ती के रूप में दिखाया गया था जिन्हें शामिल किया गया था।

7 (3) (सी)। परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह को सीधे बार से फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में भर्ती किया गया था। अस्थायी वरिष्ठता सूची में, पदोन्नत अधिकारियों के नाम जो पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें निचले संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के अनुसार दिखाया गया है। 55. आउट ऑफ टर्न पदोन्नति कोटे के तहत जिन अधिकारियों के नाम नियम 7 (3) (बी) के तहत सीरियल No.17 से 24 में उल्लिखित थे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया गया था जैसा कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बताया गया था। फास्ट ट्रैक अदालत के दो न्यायाधीश जिनके खिलाफ शामिल किए गए थे

प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में उपलब्ध पदों को प्रत्यक्ष भर्तियों के ऊपर दिखाया गया था। जहां तक नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नत पदोन्नत अधिकारियों के बीच अंतर-वरिष्ठता का संबंध है, कोई समस्या नहीं है। सभी को नियम 12 (1) के अनुसार उनकी वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। दिनांकित 25.09.2014 की अस्थायी वरिष्ठता सूची के प्रसार के बाद, आपत्तियाँ

सीधे रंगरूटों द्वारा दायर किए गए आवेदनों में परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह को सीरियल No.15 में और 16 को अन्य सीधे रंगरूटों से ऊपर प्रत्यक्ष कोटे के तहत नियुक्त करने पर सवाल उठाया गया था।

56. परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह के संबंध में, प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा यह कहा गया था कि नियम 7 (3) (सी) के तहत उनकी नियुक्ति की अनुमति नहीं थी क्योंकि वे प्रत्यक्ष भर्तियों के चयन के समय अधिवक्ता नहीं थे और उनका चयन लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर नहीं किया गया था, जिसके तहत सभी प्रत्यक्ष भर्ती उम्मीदवारों को अधीन किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन अधिकारियों का अवशोषण सेवा में एक अनुग्रह अवशोषण है और इस तरह उन्हें सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों से वरिष्ठ नहीं माना जा सकता है।

57. आउट ऑफ टर्न प्रमोटरों में से एक अरुणवीर वशिष्ठ ने समिति के समक्ष अपना दावा पेश किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि वह

बारी-बारी से चुने गए उम्मीदवारों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी और हालांकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार क्रम संख्या 6 पर रखा गया था, लेकिन वे एकमात्र अधिकारी थे जो पहले से ही तदर्थ आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में पदोन्नत थे, वे शामिल होने के हकदार थे और उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत बने रहे। इस प्रकार, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति सेवा में फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी नियुक्ति से संबंधित होगी।

58. फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के समावेशन के संबंध में, इस अदालत ने बृज मोहन लाल बनाम मामले पर विस्तार से विचार किया था

भारत संघ और अन्य, (2012) 6 एस. सी. सी. 502। फास्ट ट्रैक अदालतों के न्यायाधीश जो बार से सीधे भर्ती के रूप में काम कर रहे थे और साथ ही जो फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ पदोन्नत थे, उन्होंने नियमित संवर्ग में शामिल होने का दावा किया था। संबंधित निवेदन पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने पैराग्राफ 207 में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। पैराग्राफ 207.9 फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित है जो

प्रत्यक्ष नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किए गए थे, जो निम्नलिखित के लिए है प्रभावः -

" 207.9 . वे सभी व्यक्ति जिन्हें अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीशों के रूप में बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है

एफ. टी. सी. योजना के तहत एफ. टी. सी. नियुक्त होने के हकदार होंगे।

उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग के लिए

संबंधित राज्य केवल निम्नलिखित तरीके से:

(क) एफ. टी. सी. में सीधी भर्ती जो नियमित करने का विकल्प चुनते हैं।

संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा लेंगे।

अतिरिक्त जिले के नियमित संवर्ग में अवशोषण के लिए

न्यायाधीश।

(ख) इसके बाद, उन्हें मुख्य न्यायाधीश और चार न्यायाधीशों वाली एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा।

उस उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

(ग) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे। योग्यता अंक होंगे

सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत और एससी/एसटी/ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत। परीक्षा और साक्षात्कार उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

(घ) प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति एफ. टी. सी. में सेवा के प्रति वर्ष एक अंक का हकदार होगा, जो इसका हिस्सा होगा -

साक्षात्कार चिह्न।

(ई) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार

संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए

यह ध्यान में रखते हुए कि इन सभी आवेदकों ने कई

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में वर्षों तक देश की सेवा की है

कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना। लिखा गया है।

इस प्रकार, परीक्षा और साक्षात्कार मॉडचूल को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

मामले।

(च) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार

और पूर्वनिर्धारित समेकित प्रतिशत प्राप्त करना

में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए राज्य का नियमित संवर्ग।

(छ) यदि किसी कारण से रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं

नियमित संवर्ग, हम एतद्द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि ऐसी अतिरिक्त रिक्तियां बनाएँ जो आवश्यक हों

चयनित उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए।

(ज) सभी वर्तमान और/या पूर्व एफ. टी. सी. न्यायाधीश जो सीधे थे।

बार से नियुक्त होते हैं और लेने के इच्छुक होते हैं नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार होगा

आयु में छूट दी गई है। आवेदक की आयु सीमा से अधिक होने के आधार पर कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित आयु।

59. किसी भी राज्य के उम्मीदवारों के संबंध में जिन्हें सिविल जज, सीनियर डिवीजन के पद से सेंट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था, पैराग्राफ 207.13 में विंग निर्देश जारी किए गए थे:

" 207.13 . किसी भी राज्य के उम्मीदवार, जिन्हें पदोन्नत किया गया था

सिविल जज, सीनियर डिवीजन के पद से एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में

सेवा में अपेक्षित अनुभव रखने वाले, होने के हकदार होंगे

अवशोषित और उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत रहते हैं

उस राज्य के विषय में:

(क) ऐसी पदोन्नति, जब योग्यता के आधार पर बारी के बाहर पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ प्रभावी होती है, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में इस न्यायालय का निर्णय।

अपेक्षित परीक्षा के माध्यम से लिया जाना और चुना जाना,

जैसा कि बारी के बाहर पदोन्नति के लिए विचार किया गया है।

(ख) यदि नियुक्त व्यक्ति के पास अपेक्षित वरिष्ठता है और

द्वारा पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध पदोन्नति का हकदार

वरिष्ठता-सह-योग्यता, उसे बिना किसी लिखित परीक्षा के उच्च न्यायिक सेवाओं में अपनी बारी पर पदोन्नत किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त श्रेणी (क) या (ख) के तहत उम्मीदवारों पर विचार करते समय, इस तथ्य को उचित महत्व दिया जाएगा कि वे पहले ही कई वर्षों से सेवा में हैं।

उच्च न्यायिक सेवाएँ और, निश्चित रूप से,

उनका प्रदर्शन।

(घ) इस श्रेणी में अन्य सभी नियुक्तियां,

एफ. टी. सी. योजना को बंद करना, उनके काम पर वापस आ जाएगा

उपयुक्त संवर्ग में संबंधित पद "।

60. उम्मीदवार परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव 1 के संबंध में, भर्ती और नियुक्ति समिति ने देखा है कि उन्होंने नियमित संवर्ग में अपनी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए एक लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दी। दिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में। 2015 भर्ती/पदोन्नति समिति (सुपीरियर ज्यूडिशियल सीई) ने देखा है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को नियमित संवर्ग में विचार के लिए एन टेस्ट परीक्षा और मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। रिपोर्ट का अनुच्छेद 9 सर्वसम्मति इस प्रकार है: -

" 9. मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली माननीय चयन समिति ने 18.03.2008 पर आयोजित अपनी बैठक में

फास्ट ट्रैक के पीठासीन अधिकारियों के अवशोषण पर विचार किया गया

अतिरिक्त जिला और सत्रों के नियमित संवर्ग में न्यायालय

राज्यों में बार के कोटे से न्यायाधीश क्रमशः पंजाब और हरियाणा। अधिकारी थे

(i) लिखित में उनके प्रदर्शन के आधार पर विचार किया गया

जाँच; (ii) वाइवा वॉयस और (iii) एसीआर। योग्यता के अनुसार

सूची, परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह के नाम के नियमित संवर्ग में अवशोषण के लिए अनुशंसित किया गया था

पंजाब राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश।

इन सिफारिशों को पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था इसकी बैठक 10.04.2008 पर आयोजित की गई।

पंजाब सरकार और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

दोनों अधिकारियों को पंजाब सुपीरियर जुडिशल में नियुक्त किया गया सेवा आदेश दिनांकित 24.06.2008 '। 2299

61. उपरोक्त रिपोर्ट को बाद में पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसके आधार पर अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। दोनों अधिकारी

परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह को पंजाब में नियुक्त किया गया।

24.06.2008 दिनांकित आदेश द्वारा वरिष्ठ न्यायिक सेवा। अस्थायी वरिष्ठता सूची में, उन्हें क्रम संख्या में रखा गया था। 15 और 16 अर्थात ऊपर

उपरोक्त दो अधिकारी जिन्हें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षण के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नियमित संवर्ग में ले जाया गया था, जो लगभग वही प्रक्रिया है जिसे बाद में इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन लाल मामले में दिनांक 19.04.2012 (सुप्रा) में निर्धारित किया गया है। उपरोक्त दो अधिकारियों को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में शामिल किया गया है, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम पहले ही मान चुके हैं कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए रोस्टर लागू है। प्रत्यक्ष भर्तियों की यह आपत्ति कि उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित कोटे में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे उसी लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा से नहीं गुजरे हैं, जो प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा ली गई है, इस प्रकार स्वीकार नहीं की जा सकती है।

62. बृज मोहन लाल मामले (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले के अनुसार, बार के अधिकारियों, फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में काम करने वाले अधिवक्ताओं को मंजूरी मिलने के बाद नियमित संवर्ग के तहत लिया जा सकता है लिखित परीक्षा और जीवंत-आवाज। पैराग्राफ में इस न्यायालय का निर्देश

207.9 (छ) जो कहता है कि "यदि किसी भी कारण से, नियमित संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वे अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करें जो आवश्यक हो।

चयनित उम्मीदवारों की संख्या इंगित करती है कि यदि रिक्तियां हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को नियमित संवर्ग में लिया जाना था। वर्तमान मामले में, दो रिक्तियों के खिलाफ समायोजन किए गए हैं जो उपलब्ध थे, इसलिए, उन्हें नियमित संवर्ग में प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में लिया गया है, जिसे स्वीकार करना होगा। इसके अलावा, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां नियमित संवर्ग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में उनका चयन किया जाता है। चुनौती। केवल जो मुद्दा उठाया जाता है वह वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के बारे में है।

63. इस संदर्भ में एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नियम 12 (3) में प्रावधान है कि "प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त व्यक्ति की अंतर-से-वरिष्ठता पर होगी योग्यता का आधार जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियम 12 (3) के अनुसार अंतर-से-वरिष्ठता का स्पष्ट रूप से मतलब है कि अंतर-से-वरिष्ठता उसी परीक्षा में परिलक्षित होती है। फास्ट ट्रैक के दो अधिकारी

न्यायालय ने एक ही परीक्षा नहीं दी है, नियम 12 (3) तकनीकी रूप से इन दो अधिकारियों और अन्य की अंतर-से-वरिष्ठता का निर्णय करते समय लागू नहीं होता है।

सीधी भर्ती। हालांकि, बृज मोहन लाल के मामले (सुप्रा) में इस अदालत के निर्देशों को देखते हुए बार के इन दो फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिकारियों को नियमित संवर्ग में लेना दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है। वे फास्ट ट्रैक अदालत में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित संवर्ग में नियुक्त किया गया है, हालांकि वे उसी में हैं। भर्ती वर्ष, अन्य प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर उनकी नियुक्ति उचित है। हालांकि, इन दोनों अधिकारियों को सीधे भर्तियों के साथ समूहीकृत किया जाएगा

और प्रत्यक्ष भर्तियों और अन्य में पद संख्या 1 और 2 पर कब्जा करेंगे।

इसके बाद आगे बढ़ेगा।

64. अब हम श्री अरुणवीर वशिष्ठ फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के दावे पर आते हैं, जिन्हें बारी के बाहर पदोन्नति द्वारा चुना गया था। श्री अरुणवीर वशिष्ठ को इसके परिणामस्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

नियम 7 (3) (ए) के तहत पंद्रह अधिकारियों की पदोन्नति। नियुक्ति और चयन समिति ने नियम 7 (3) (ए) के तहत पंद्रह पदोन्नति के प्रस्ताव के साथ फास्ट ट्रैक अदालतों में सात अधिकारियों को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें श्री अरुणवीर वशिष्ठ को शामिल किया गया था। श्री अरुणवीर वशिष्ठ ने इस प्रकार वर्ष 2008 में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश का पद संभाला और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और योग्यता के आधार पर छठा स्थान प्राप्त किया। आउट ऑफ टर्न पदोन्नतियों में श्री अरुणवीर वशिष्ठ छठे स्थान पर रहे हैं।

65. श्री अरुणवीर वशिष्ठ ने अपने संक्षिप्त लिखित सारांश में इस बात पर विवाद नहीं किया है कि वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जानी है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब की जाती है। वह ठीक ही कहता है कि नियम सहायक और कानून के अधीन हैं। उन्होंने डब्ल्यू. पी. में पारित इस न्यायालय के दिनांक 28.04.2016 के आदेश पर भी भरोसा जताया है। (ग) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। इस न्यायालय का दिनांक 28.04.2016 का आदेश निम्नलिखित प्रभाव से है: -

" याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना उत्तरदाताओं को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियुक्तियों में "पोस्ट आधारित रोस्टर" का पालन करने का निर्देश देने के लिए है।

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

31.03.2003 से प्रभावी जिला न्यायाधीशों का संवर्ग। उक्त प्रार्थना फिर से कानून के कथन पर आधारित है

उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ 49 में प्रस्तावित

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में प्रस्तुत किया गया (सुप्रा)। यह बताते हुए कि 40-बिंदु रोस्टर को किस तरह से निर्धारित किया जाना है, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपयुक्त नियम

और उच्च न्यायालयों द्वारा तरीके अपनाए जाने चाहिए और 31.03.2003 द्वारा जहाँ भी आवश्यक हो राज्यों द्वारा अनुमोदित। जब यह आवेदन दायर किया गया था, शुरू में उच्च न्यायालय की ओर से, विद्वान स्थायी वकील ने नोटिस लिया और

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय में एक समिति बनाई गई है

इसका गठन किया गया है जो इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है और इसलिए,

वह एक सप्ताह के समय में इस अदालत में रिपोर्ट करने में सक्षम होगा। अब आवेदक (ओं) के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 34 अंकों का रोस्टर कैडर की संख्या के आधार पर तैयार किया गया है जो सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए लागू विभिन्न अंकों के साथ-साथ प्रवेश स्तर के जिला/अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश में सीधी भर्ती के लिए प्रदान किया गया है। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि उचित नियम भी बनाए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया जिसे राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है

16 मार्च, 2004 को सरकार। "

66. इस न्यायालय का दिनांक 28.04.2006 का आदेश अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले दिनांक 21.03.2002 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को फिर से लागू करता है।

67. श्री अरुणवीर वशिष्ठ की ओर से भर्ती और पदोन्नति समिति के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि हालांकि बारी के बाहर पदोन्नति की योग्यता सूची में वे क्रम संख्या 6 पर हैं, लेकिन वे एकमात्र अधिकारी हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारी थे। तदर्थ आधार पर, वह "अवशोषित होने और पद पर पदोन्नत बने रहने का हकदार है।" इस बात से कोई इनकार नहीं है कि श्री अरुणवीर वशिष्ठ को नियम 7 (3) (बी) के तहत नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है और उनकी महत्वपूर्ण पदोन्नति जारी है। जब रोस्टर लागू होता है, तो वरिष्ठता को रोस्टर बिंदु द्वारा तय किया जाना चाहिए। नियम 12 (2) के अनुसार बारी-बारी से पदोन्नत अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता "योग्यता के क्रम में होगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अदालत "। इस प्रकार, श्री अरुणवीर वशिष्ठ की वरिष्ठता की स्थिति योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के बीच उनकी स्थिति को धारावाहिक [2018] 13 एस. सी. आर. के रूप में दिखाया गया है।

नहीं। 6 जिसके साथ कोई कमजोरी नहीं पाई जा सकती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न धाराओं में नियमित संवर्ग में लिए गए सभी फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को उनकी धाराओं में से वरिष्ठता सूची में रखा गया है, जिसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

हमारे निर्णय:

68. अस्थायी वरिष्ठता सूची सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर तैयार की गई थी, इसलिए 27/28 फरवरी, 2008 को शामिल होने वाले सभी पदोन्नति अधिकारियों को क्रम संख्या में दिखाया गया है। 1 14 तक। परमिंदर पाल सिंह और सुखदेव सिंह, बार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जिन्हें नियमित कैडर डब्ल्यू. ई. एफ. में नियुक्त किया गया था।

क्रम संख्या में दिखाया गया है। 15 और 16. सीरियल नंबर 17 से 24 तक ब्लॉक में आउट ऑफ टर्न पदोन्नत थे और उसके बाद सीरियल No.25 से 35 तक, सीधे भर्तियों को ब्लॉक में रखा गया था। आपत्तियों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा अंतिम अस्थायी वरिष्ठता सूची को मंजूरी दे दी गई है। यह इसकी दिनांकित 11.08.2015 रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। पूर्ण न्यायालय ने 11.08.2015 की रिपोर्ट को मंजूरी दी, इसलिए, 24.12.2015 पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। अंतिम वरिष्ठता सूची अस्थायी वरिष्ठता सूची के समान थी। वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा है:

i) वरिष्ठता के निर्धारण में रोस्टर लागू होगा।
ii) नियम 7 (3) (ए) के तहत पदोन्नत पंद्रह पदोन्नति अधिक थी।

उनके कोटे से।

iii) नियम 7 (3) के तहत पंद्रह पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें वरिष्ठता में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए।

69. रिट याचिकाओं को डिवीजन बेंच द्वारा अनुमति दी गई थी। में।

डिवीजन बेंच के फैसले के अनुसार केवल वरिष्ठता सूची में परिवर्तन क्रमिक संख्या से पदोन्नतियों को विस्थापित करने के लिए था। 1 14 तक और इसे प्रत्यक्ष भर्तियों के नीचे वरिष्ठता सूची में रखना। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को हमारे सामने चुनौती दी गई है।

70. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं: -

1) नियम 7 (3) (ए) के तहत पंद्रह अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकती है।

उनके कोटे से बाहर माना जाता है।

2) पंद्रह अधिकारियों की पदोन्नति को तदर्थ माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम आंध्र प्रदेश नहीं कहा जा सकता है।

न ही उन्हें वरिष्ठता में सबसे नीचे रखने का निर्देश दिया जा सकता है

सूची।

3) यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि

वरिष्ठता में लागू होता है लेकिन के परिचालन भाग में

पैराग्राफ 208 में दिए गए फैसले में परिशिष्ट-बी में दी गई सूची के अनुसार वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा की गई स्पष्ट त्रुटि।

4) नियम 2007 को लागू करने के लिए लाया गया है

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

(2002) 4 एस. सी. सी. 247, नियम 2007 की व्याख्या करते समय इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश को ध्यान में रखा जाना चाहिए और नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन हो।

उपरोक्त निर्णय में यह न्यायालय।

5) नियम 7 (4) को परिशिष्ट-बी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

नियम का निर्माण स्पष्ट रूप से उस सूची को इंगित करता है जो तीनों धाराओं के पद को भरने के लिए स्पष्ट रूप से लागू किया गया है जो वरिष्ठता का निर्धारण करते समय लागू होगा।

राहत के उपायः - 71. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता सूची दिनांकित की गई

2.2015 अलग रखा जाना है। वरिष्ठता सूची को अलग रखने के बाद, दो विकल्प खुले हैं। पहला, हमारे निर्देश के अनुसार इस मामले को फिर से उच्च न्यायालय को वरिष्ठता सूची में भेजना और दूसरा, इसे अंतिम रूप देना।इस निर्णय में ही रिटी सूची। हम दूसरा मार्ग चुनते हैं

वॉट कारणः

क) तीन वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी है जब अस्थायी

वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई। वरिष्ठता को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना

न्याय के प्रशासन के लिए संभव आवश्यक और आवश्यक है।

ख) पदोन्नति पाने वालों की अंतर-वरिष्ठता के बारे में कोई विवाद नहीं है। नियम 7 (3) (ए) के तहत और अंतर-से-वरिष्ठता से संबंधित मुद्दे

पदोन्नति और सीधी भर्तियों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है

हमारे द्वारा। केवल अधिकारियों को तैनात करने की कवायद की जानी है।

सूची के अनुसार तीन धाराओं का, जैसा कि संकेत दिया गया है

परिशिष्ट-बी। तीन धाराओं के अधिकारियों को नियुक्त करने के बाद, रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता की स्थिति इस प्रकार है:

नाम

नियम

श्री केशव चंदर गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक। डी एंड एसजे

7 (3) (अ)

1 .

(समय से पहले सेवानिवृत्त होने के बाद से)

श्री नरिंदर कुमार गौर,

7 (3) (अ)

2 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

(समय से पहले सेवानिवृत्त होने के बाद से 07.06.2011)

श्री परमिंदर पाल सिंह,

7 (3) ((ग)

3 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री विरिंदर अग्रवाल,

7 (3) (ख)

4 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री किशोर कुमार,

7 (3) (अ)

5 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री परमजीत सिंह,

6 .

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री सुखदेव सिंह,

7 (3) ((ग)

7 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

8. सुश्री मंदीप पन्नू,

7 (3) (ख)

एडल्ट। डी एंड एसजे

9 .

श्री प्रीतम सिंह धनोना,

7 (3) (अ)

एडल्ट। D & SJ, (Ex.S.M.)

श्री हरपाल सिंह,

7 (3) (अ)

10 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री मुनीश सिंघल,

7 (3) ((ग)

11 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री अशोक पॉल बत्रा,

12 .

7 (3) (ख)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल,

13 .

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

सुश्री गुरप्रीत कौर रंधावा,

14 .

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

15. सुश्री रूपिंदरजीत चहल,

7 (3) ((ग)

एडल्ट।

डी एंड एस. जे. होनबल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़ बनाम। पंजाब राज्य [अशोक भूषण, जे.]

श्री राजिंदर अग्रवाल,

16 .

7 (3) (ख)

एडल्ट। डी एंड एसजे

17 .

सुश्री रमेश कुमारी,

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री जगजीत सिंह चौहान,

7 (3) (अ)

18 .

एडल्ट। डी एंड एसजे (समाप्त होने के बाद से)

श्री कमलजीत लाम्बा,

7 (3) ((ग)

19 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री तारसेम मंगला,

7 (3) (ख)

20 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री निर्मल सिंह,

21 .

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

(समय से पहले सेवानिवृत्त होने के बाद से)

सुश्री सुनीता कुमारी,

22 .

7 (3) (अ)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री निर्भो सिंह गिल,

7 (3) ((ग)

23 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री अरुण वीर वशिष्ठ,

7 (3) (ख)

24 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

सुश्री आशा कोंडल,

7 (3) (अ)

25 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

7 (3) (अ)

26 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री जतिंदर पाल सिंह खुमी,

7 (3) ((ग)

27 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री जसजीत सिंह भिंडर,

28 .

7 (3) (ख)

एडल्ट। डी एंड एसजे

डॉ. हेमंत गोपाल,

29 .

7 (3) ((ग)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री सुरिदर सिंह साहनी,

7 (3) (ख)

30 .

एडल्ट।

श्री कंवलजीत सिंह बाजवा,

31 .

7 (3) ((ग)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री सुमित मल्होत्रा,

32 .

7 (3) ((ग)

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री अरुण गुप्ता,

7 (3) ((ग)

33 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

सुश्री जतिंदर कौर-II,

7 (3) ((ग)

34 .

एडल्ट। डी एंड एसजे

श्री मोहम्मद। गुलजार,

35 .

7 (3) ((ग)

एडल्ट। डी एंड एसजे

72. यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए

(2010) 15 एस. सी. सी. 170 में न्यायालय, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ, का कोटा

25 आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के प्रतिशत को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। 01.01.2011। वर्तमान वरिष्ठता विवाद से संबंधित है

2008 में आयोजित भर्ती, कोटा में कमी प्रासंगिक नहीं हो सकती है

वर्तमान मामला।

73. पूर्वगामी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है

निम्नलिखित विधिः -

1) उच्च न्यायालय की खंड पीठ का फैसला जहाँ तक यह है

यह मानता है कि रोस्टर की वरिष्ठता के निर्धारण में लागू होता है

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को बरकरार रखा जाता है।

और वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे का स्थान लेगा एक तरफ।

3) 24.12.2014 दिनांकित वरिष्ठता सूची को अलग रखा गया है। 35 की सूची

ऊपर बताए अनुसार सूची के अनुसार व्यवस्थित अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जाएगा। वर्ष 2008 में भर्ती किए गए अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची।

74. पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपी

लों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी